भारत में निजी एवं सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र का विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव (विशेष सन्दर्भ राजस्थान की अर्थव्यवस्था एवं उसका विकास) – एक अध्ययन

A STUDY OF PUBLIC AND PRIVATE BANKING SECTOR DEVELOPMENT IN INDIA AND ITS EFFECTS ON INDIAN ECONOMY (SPECIAL REFERENCE TO ECONOMY OF RAJASTHAN AND ITS DEVELOPMENT)

पी.एच.डी. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तिय
प्रबंध की उपाधि की आंशिक पूर्ती हेतु
शोध की रुपरेखा
2016

शोध पर्यवेक्षक
डॉ. सी.पी. गुप्ता (व्याख्याता)
श्री पी.एस.बी. राजकीय महाविद्यालय,
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

शोधार्थी
दिलीप कंवरिया

आर्थिक प्रशासन एवं वित्तिय प्रबंध (ई.ए.एफ.एम) विभाग
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राजस्थान)

Scanned by TapScanner

APPENDIX- IV-A

FORMAT FOR OUTLINE (SYNOPSIS) OF PROPOSED RESEARCH WORK

1. **Name of Scholar (In English) :** **DILIP KANWARIA**
   (हिन्दी में) : **दिलीप कंवरिया**

2. **Title of Research Work : STUDY OF BANKING SECTOR DEVELOPMENT IN INDIA AND ITS EFFECTS ON INDIAN ECONOMY (SPECIAL REFERENCE TO ECONOMY OF RAJASTHAN AND ITS DEVELOPMENT)**

   (हिन्दी में) : भारत में बैंकिग क्षेत्र का विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव (विशेष संदर्भ राजस्थान की अर्थवयवस्था एवं उसका विकास) – एक अध्ययन

3. **Location**

   a. Institution / Department where the work is to be done :
      - Sh. P.S.B. Govt. College Shahpura - Bhilwara

   b. Geographical area of investigation, if any.
      - Rajasthan (Urban & Rural)

4. Introduction Importance of proposed Investigation, Objective. Enclosed pg no. 23

5. Review (Work already done on the subject of proposed Research Study). Pg. no. 25

6. Research Gaps identified in the proposed field of investigation. (Based on the review) Enclosed pg. no. -> 26

7. Major Hypothesis, if any Enclosed pg. no. -> 23

8. Research Methodology. Enclosed pg. no -> 24

9. List of References cited. Enclosed pg. no -> 29 to -30

Outline Approved [signature] 08.07.2016

Dr. C.P. Gupta,
Name and signature of supervisor
with date and seal 08.07.2016
Deptt. of E.A.F.M.
S.P.S.B. Govt. College, SHAHPURA (BHILWARA)

[signature] 8/7/16
Signature of
Candidate with date

Scanned by TapScanner

APPENDIX - IV-B

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

शोध पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

(Reference Ord. 124.11)

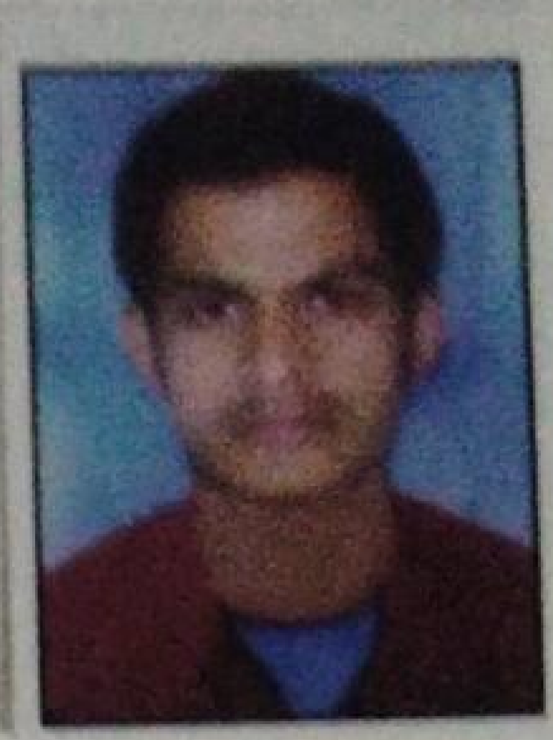

विभागाध्यक्ष,
....
म.द.स. विश्वविद्यालय,
अजमेर।

प्राचार्य,
श्री प्रताप सिंह बारहठ
राज. महा. शाहपुरा (भीलवाड़ा)

विषय:– शोध पंजीयन हेतु आवेदन।

महोदय / महोदया,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि विश्वविद्यालय के परिपत्र क्रमांकः एफ–15 / शोध / मदसविवि / 11558/968 दिनांक 2-05-16 में वर्णित सूचना के अनुसार मैनें निर्धारित कोर्स वर्क सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है और इस परिपत्र के बिन्दु संख्या–1 में दिये गये निर्देशों के अनुसार शोध पंजीयन हेतु यह आवेदन निम्नांकित वांछनीयता पूरी करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूं / रही हूं :–

1. मुझे आवंटित शोध पर्यवेक्षक डॉ. सी. पी. गुप्ता .... हैं उन्होंने यह आवेदन पत्र मय दस्तावेज अग्रेषित कर दिया है।
2. आवेदन शुल्क राशि रू.500/– का डी.डी. नं. 059821 .... दिनांक 30-5-16 (कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नाम)
3. अध्यादेश 124.10 में निर्धारित परिशिष्ठ–IV के अनुसार Format for outline of Proposed Research Work (6 प्रतियों) में वांछित शोध पर्यवेक्षक के प्रमाण पत्र, (परिशिष्ठ– VI) के साथ संलग्न है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इस आवेदन पत्र को संलग्न दस्तावेजों के साथ निदेशक शोध, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को शोध पंजीयन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित करावें।

मुझे ज्ञात है कि शोध पंजीयन से शोधोपाधि प्राप्त होने की अवधि में मैं अन्य कोई उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकता / सकती। यदि इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट (नियमित / पार्ट टाईम / दूरस्थ शिक्षा) इस अवधि में करना चाहूंगा / चाहूंगी तो वह मैं तब ही करूंगा / करूंगी जब मुझे मेरे शोध पर्यवेक्षक यह प्रमाण पत्र दे देंगे कि इस पाठ्यक्रम को करने से शोध कार्य बाधित नहीं होगा।

संलग्न– उपर्युक्त

प्रार्थी,

दिनांक 8/7/16

हस्ताक्षर .... (signature)
पूरा नाम एवं पता दिलीप कंवरिया
A-704 पंचशील नगर अजमेर
टेलीफोन / मोबाईल नं0 8503958151

आवंटित सेवारत शोध पर्यवेक्षक की अग्रेषण टिप्पणी

मैं, डॉ0 सी. पी. गुप्ता .... इस विश्वविद्यालय का पंजीकृत शोध पर्यवेक्षक हूं। वर्तमान में श्री. पी. एस. बी. राज. महा. शाहपुरा .... में कार्यरत हूं। मेरी सेवानिवृत्ति की दिनांक 22.08.2023 है। शोध पंजीयन हेतु उक्त आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेज निदेशक, शोध, म.द.स. विश्वविद्यालय को कृपया अग्रेषित कराएं।

दिनांक : 8/7/16

हस्ताक्षर .... (signature)
नाम डॉ. सी. पी. गुप्ता
टेलीफोन / मोबाईल नं0 9460357225

Scanned by TapScanner

आवंटित सेवानिवृत्त शोध पर्यवेक्षक की अग्रेषण टिप्पणी

मैं, डॉ0 .... इस विश्वविद्यालय का पंजीकृत शोध पर्यवेक्षक हूं। मै दिनांक .... को .... से सेवानिवृत्त हो चुका हूं। उक्त अभ्यर्थी को ....विभाग/ महाविद्यालय में शोध करने की अनुमति प्राप्त कर ली है, जो संलग्न है। शोध पंजीयन हेतु उक्त आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेज निदेशक, शोध, म.द.स. विश्वविद्यालय को कृपया अग्रेषित कराएं।

दिनांक : 8/7/16

हस्ताक्षर ....

नाम ....

टेलीफोन/मोबाईल नं0 ....

क्रमांकः 718 दिनांकः 8/7/16

निदेशक (शोध)
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर– 305009

शोधार्थी दिलीप केवरिया का शोध पंजीयन हेतु, आवंटित शोध पर्यवेक्षक से अनुशंषित आवेदन पत्र मय संलग्न उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ शोध पंजीयन हेतु अग्रेषित है।

8/7/16

हस्ताक्षर एवं सील, प्राचार्य/ विभागाध्यक्ष

प्राचार्य
श्री प्र.सिं.चा.राजकीय महाविद्यालय
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

शोध अनुभाग के उपयोग हेतु

आवेदन पत्र की जांच कर ली गई है। अतः संबंधित शोध पंजीयन समिति की बैठक में निर्णयार्थ रखे जाने योग्य है

हस्ताक्षर जांच कर्ता

अथवा

आवेदन पत्र की जांच की गई और निम्न कमियां पाई गई जिनकी पूर्ति करायी जानी है :–

1.

2.

3.

आवेदन पत्र में पाई गयी उक्त कमियां अभ्यर्थी द्वारा दिनांक .... को पूरी कर दी गयी है। अतः संबंधित विषय शोध समिति की बैठक में निर्णयार्थ रखे जाने योग्य है।

हस्ताक्षर जांच कर्ता

Scanned by TapScanner

APPENDIX - VI

MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

Certificate by Supervisor

Certified that:

1 I am willing to guide the research of **Mr. DILIP KANWARIA** on the above subject if he registered for Ph.D.

2 To the best of my knowledge, the subject selected has not been studied and is not being studied so far in any University.

3 The subject is of sufficient scope to keep the candidate engaged for two year.

4 The subject will lead to a valuable contribution. I have seen and approved the outline and bibliography, etc. submitted by the candidate.

5 Necessary facilities are available in the department for the above research work, (certificate from principal/head university department with regards to facilities available is enclosed.)

6 I have ...Nil... Research candidate registered under my supervision and the serial number of this candidate whose application being forwarded for registration is ....01...........

7 The candidate is not in a close relation (the term of close relation is defined in the examination ordinance of the University).

08.07.2016
Signature of the supervisor with date

CERTIFICATE

Certified that the available facilities will be extended to **Mr. DILIP KANWARIA** for research work if he registered for Ph.D.

8/7/16
Signature of the Principal/ Director of the Institution with date

प्राचार्य
श्री प्र.सि.बा. राजकीय महाविद्यालय
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

08.07.2016
Signature of the Head Department with date

Scanned by TapScanner

CERTIFICATE

This is to certify that Mr./Ms. **DILIP KANWARIA** Son of **Mr. RAMESH CHAND KANWARIA** has qualified/not qualified the course work of Paper – II&III for Registration for the Ph.D Programme in the **Department of E.A.F.M.** of the **Sh. P.S.B. Govt. College, Shahpura (Bhilwara)** on ......04.07.2016...... (dd/mm/yy)

05.07.2016
Signature with date
Head of the Department

Scanned by TapScanner

भारत :–

एक परिचय – विश्व के मानचित्र पर भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व मे सांतवा स्थान है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3,287,263 वर्ग किलोमीटर (1,269,219) वर्ग मीटर है। भारत विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया का एक देश है। भारत मे कुल 29 राज्य व 7 केन्द्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत एक विकासशील विश्व अर्थव्यवस्था में एक विकासशील देश माना जाता है। यहां वार्षिक जन्म दर, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर, अशिक्षा के स्तर, शादी की आयु आदि की दृष्टि से काफी पिछड़ेपन की दशा रही है, लेकिन इन लक्षणों में अब धीरे–धीरे सुधार दिखाई देने लगा है फिर भी भविष्य में और प्रयत्न करने जरुरी है।

भारत का आर्थिक ढ़ांचा (बिजली, सड़क, परिवहन, दूरसंचार आदि) तथा सामाजिक ढ़ांचा (शिक्षा, चिकित्सा, सफाई) आज भी कमजोर है और भविष्य में इनका विकास किये जाने की काफी संभावनाएं है। इन सभी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निरन्तर प्रयत्न किये जाते रहे हैं व कई योजनाओं द्वारा भी इनका विकास किया जाता रहा है। भारत मे बैंको के द्वारा ऐसे विकास कार्यों व योजनाओं हेतु प्रत्येक राज्य व क्षेत्र के लिए ऋण आवश्यकतानुसार समय–समय पर उपलब्ध कराये गये हैं। भारत में बैंको का अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत बड़ा योगदान है और बैंकों के बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास होना असंभव है। बैंकों के विकास के साथ–साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का स्वरुप बदला है।

भारत में कुल 29 राज्यों में से 18 राज्य गैर–विशिष्ट श्रेणी में आते हैं और शेष 11 राज्य विशिष्ट श्रेणी में आते हैं।

राजस्थान :–

परिचय – राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश के विभाजन से छत्तीसगढ़ के नए राज्य बनने के बाद अब **यह भारत का सबसे बड़ा राज्य** बन गया है। **राजस्थान गैर – विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में शामिल है।** राजस्थान में जनसंख्या, प्रशासनिक स्वरुप व क्षमता तथा सामाजिक–आर्थिक विकास के स्तर मे काफी अन्तर पाया जाता है। राजस्थान में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर भारत की तुलना मे ज्यादा है। यहां जोतों का औसत आकार भी राष्ट्रीय औसत से काफी ऊँचा पाया जाता है। लेकिन राज्य का आर्थिक ढ़ांचा व सामाजिक ढ़ांचा आज भी कमजोर है और भविष्य में इनका विकास किये जाने की काफी संभावनाएं हैं। राजस्थान में विघुत, सिंचाई, सड़कों, रेलों, डाकघर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बैंकिंग की स्थिति विकासशील है। जिसमें राजस्थान का गैर–विशिष्ट राज्यों में 14 स्थान है और इससे इस दिशा में इसके अत्यधिक पिछड़े होने का परिचय मिलता है।

राजस्थान के अति पिछड़ेपन के कारण यहां की अर्थव्यवस्था भी पिछड़ी हुई है व इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकारी नितियों द्वारा विघुत, सड़कें, रेलमार्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उघोग व आधार ढाचें में सुधार करने के प्रयास किये गये हैं व आज भी विकास के प्रयास जारी है। राजस्थान की विषम भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे 61 प्रतिशत भू–भाग पर रेगिस्तान पाया जाता है जहां बहुधा आकाल पड़ते रहते हैं। राज्य में सतही जल साधन भारत की तुलना में मात्र 1 प्रतिशत है तथा विकास के लिए **वितिय साधनों का अभाव रहा है जिससे आर्थिक प्रगति के मार्ग में बाधाएं आती रही है।** राज्य में योजनाकाल में काफी धनराशि व्यय की गई है तथा प्रति व्यक्ति निवेश भी बढ़ा है। राज्य के आर्थिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बैंकों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान व मध्यप्रदेश की स्थिति लगभग एक सी पायी जाती है। बैंकिंग सुविधाओं के विकास की

Scanned by TapScanner

दृष्टि से राजस्थान की स्थिति समस्त भारत की तुलना मे ज्यादा पिछड़ी हुई नहीं है फिर भी केरल, पंजाब व हिमाचल प्रदेश की तुलना में यह काफी पिछड़ी हुई मानी जा सकती है। मार्च 2016 मे राजस्थान मे उधार–जमा का अनुपात (Credit-deposit Ratio) 85.9 प्रतिशत रहा था, जबकि समस्त भारत में यह लगभग 75.9 प्रतिशत था इस प्रकार उधार–जमा अनुपात राजस्थान में समस्त भारत की तुलना में अधिक रहा है। प्रतिलाख जनसंख्या पर बैंकों की संख्या की दृष्टि से 17 राज्यों में राजस्थान 12 वे क्रम पर है तथा राजस्थान में प्रति एक लाख व्यक्तियों पर बैंकों की संख्या 8.3 है। राजस्थान में साख का और विस्तार करना आवश्यक है। बैंकिंग क्षेत्र के विकास के साथ–साथ कृषि उधोग व आधार – ढ़ांचे में परिवर्तन आएगा तथा राज्य का पिछड़ापन दूर होगा तथा नियोजन की प्रक्रिया से विकास को नयी दिशा व नई गति मिलेगी।

1. प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र के विकास के बाद आर्थिक सुदृढ़ता को बल मिला है तथा विश्व पटल पर भारत ने अपना एक विशेष स्थान बनाया है। विकासशील देशों की श्रेणी में भारत एक अग्र्रणीय स्थान पर देखा जाने लगा है। इन्टरनेट बैंकिंग व अन्य सुविधाओं के विकास के बाद बैंकिंग एक सरल सुगम माध्यम हो गया है। राजस्थान की पिछड़ी अर्थव्यवस्था को बैंकिंग क्षेत्र के विकास के जरिए एक नई दिशा मिली है। ग्रामीण बैंकों व सरकारी प्रयासों से राजस्थान के जन–जन तक बैंकिंग को पहुँचाना सम्भव हो सका है। कृषि ऋृण, उद्योग सम्बन्धी ऋण, उपकरण सम्बन्धी ऋण, व्यक्तिगत बैंक खाते आदि से ग्रामीण क्षेत्रों से विशेष फयादा मिला है। अब राजस्थान के लोग बैंकों का सहारा ले आर्थिक गतिविधियो को बल दे पा रहे हैं। जहाँ ग्रामीण बैंकों व एटीम की संख्या एक दशक पूर्व बहुत कम थी वहीं महज कुछ ही सालों में बढ़कर बहुत अधिक हो चुकी है और अधिक से अधिक लोग इन बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं।

सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ भी सीधे उनके बैंक खाते में डाल दिए जाने की व्यवस्था से जन–जन को विशेष लाभ हुआ है। राजस्थान में बैंकों द्वारा बांटे गए लोन के आंकड़े अन्य कई प्रदेशों से अच्छे हैं। समय–समय पर लोग ब्याज व मूल–धन लोटा पाने के कारण रकम डूबने का या बैंकों के एन.पी.ए. में भी कमी देखी जा सकती है।

सूचना एवं प्राद्योगिकी के विकास के कारण बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच अधिक–से–अधिक लोगों में कम समय में व सरल तरीके से हो गई है आजकल तो लोग मोबाइल बैंकिंग का भी बहुतायत से इस्तेमाल कर रहे हैं।

स्वतंत्रता के बाद बैंकिंग व्यवसाय में बहुत अधिक तेजी देखी गई है। वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र का कुल मूल्य 115 लाख करोड़ का है और वर्ष 2020 तक यह बढ़कर लगभग 288 लाख करोड़ हो जायेगा। वर्तमान बैंकिंग क्षेत्र में पी.एस.यू बैंकों की भूमिका 70 प्रतिशत है और कुल बैंकिंग क्षेत्र में एस.बी.आई का शेयर 22 प्रतिशत है भारतीय बैंकों के सामने एन.पी.ए एक बड़ी समस्या है।

पूरे विश्व में बैंकिंग क्षेत्र का विकास उस अर्थव्यवस्था का सूचक होता है क्रेडिट रेटिंग सिस्टम आ जाने के बाद एन.पी.ए मे सुधार की उम्मीद की जा सकती है। भारतीय स्टेट बैंक की 9143 शाखाओं व करीब 198774 कर्मचारियों के साथ बैंकिंग क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिली है वही भारतीय स्टेट बैंक के कुल सम्पत्ति 4938695 मिलियन रुपये हैं। व्यापारिक बैंक एक मुद्रा डीलर के रुप में नहीं बल्कि वह अर्थव्यवस्था के विकास के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। जिसके जरिए देश में

Scanned by TapScanner

उपलब्ध संसाधनों का देश की अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उद्योग, कृषि आयात व निर्यात और विभिन्न योजनाओं के जरिए बैंकिंग एक अहम भूमिका अदा करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वे ग्रामीण क्षेत्र अधिक विकसित हैं जहां पर लोगों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ भली–भाँति मिलता हो समय–समय पर ग्राहक जागरुकता अभियान चलाकर बैंकों के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से ग्रामीणों को अवगत कराकर अधिक से अधिक संख्या में उन्हें जोड़ने का प्रयास किये जाते हो। राजस्थान में भी ग्रामीण विकास की दर दिनपर दिन बढ़ रही है जिसके कारण कृषकों को खेती के लिए, उपकरणो के लिए व फसल बीमा जैसी कई योजनाओं से लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है।

सूचना एवं प्रोद्योगिकी के विकास के कारण बैंकिंग के कार्य को सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है पर ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञानता के चलते लोग पूरी तरह से इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा नहीं सकते। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। पंचायत स्तर पर बैंकिंग के विकास की योजनाएं बनाई जाये तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी और ग्रामीणों को सेठ–साहूकार और जमीदारों को ऊँचे ब्याज का भुगतान नही करना पड़ेगा और न ही अपनी जमीने गिरवी रखनी पड़ेगी। सरकारी प्रयास जैसे नाबार्ड व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की मदद से कम ब्याज दर पर उन्हे लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं सरकार करती है इन सभी प्रयासों का अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। योजनाएं बनाना ही काफी नहीं अधिक–से–अधिक लोगों को उसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है जब व्यक्ति लाभान्वित व सुरक्षित होगा तब ही देश खुशहाल व आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा भारत जैसे विकासशील देशों में बैंकिंग क्षेत्र के विकास मे अपार संभावनाएं है। इस शोध कार्य मे बैंकिंग अर्थव्यवस्था व जनसामान्य तक इन सुविधाओं का लाभ कैसे बेहतर से बेहतर मिले उस हेतु एक अध्ययन का प्रयास।

बैंक

बैंक उस वित्तिय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने और जनता को ऋण देने का काम करती है। लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने के हेतु इन संस्थाओं में जमा करते और आवश्यकतानुसार समय–समय पर निकालते रहते हैं। बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशियों को व्यापारियों और व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं। आर्थिक आयोजन के वर्तमान युग में कृषि, उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए बैंक एवं बैंकिंग व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है।

राशि जमा रखने तथा ऋण प्रदान के अतिरिक्त बैंक अन्य काम भी करते हैं जैसे – सुरक्षा के लिए लोगों से उनके आभूषण आदि बहुमूल्य वस्तुएँ जमा रखना, अपने ग्राहकों के लिए उनके चैकों का संग्रहण करना, व्यापारियों बिलों की कटौती करना, ऐजंसी का काम करना, गुप्त निती से ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेना व देना। अतः बैंक केवल मुद्रा का लेन देन ही नहीं करते वरन् साख का व्यवहार भी करते हैं। इसलिए बैंक साख का सृजनकर्ता भी कहा जाता है। बैंक देश की बिखरी और निठल्ली संपत्ति को केंद्रित करके देंश के उत्पादन कार्यों में लगाते हैं जिससे पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादन की प्रगति में सहायता मिलती है।

Scanned by TapScanner

भारतीय बैंकिंग कम्पनी कानून के अन्तर्गत बैंक की परिभाषा निम्न दो शब्दो में दी गई हैं :

ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना तथा चेकों, ड्राफ्टों तथा आदेशो द्वारा माँगने पर उस राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है और इस व्यवसाय को करने वाली संस्था बैंक कहलाती हैं।

एक ही बैंक के लिए व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि की समुचित वित्त व्यवस्था करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। अतएव विशिष्ट कार्यों के लिए अलग अलग बैंक स्थापित किये जाते हैं जैसे व्यापारिक बैंक, कृषि बैंक, औद्योगिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक तथा बचत बैंक। इन सब प्रकार के बैंकों को नियमपूर्वक चलाने तथा उनमें पारस्परिक तालमेल बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक होता है जो देश भर की बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करता है।

समय के साथ कई अन्य वित्तिय गतिविधियाँ जुड़ गई। उदाहरण के लिए बैंक वित्तिय बाजारों में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और निवेश फंड जैसे वित्तिय सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं। कुछ देशों (जैसे जर्मनी) में बैंक औद्योगिक निगमों के प्राथमिक मालिक हैं, जबकि अन्य देशों (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका) में गैर वित्तिय कम्पनियों स्वामित्व में निषिद्ध रहे हैं। जापान में बैंक को आमतौर पर पार शेयर होल्डिंग इकाई (जाइबत्सू) के रुप में पहचाना जाता है। फ्रांस में अधिकांश बैंक ग्राहकों को बीमा सेवा प्रदान करते हैं।

इतिहास

पहला आधुनिक बैंक इटली के जोनेवा में 1406 में स्थापित किया गया था, इसका नाम बैंकों दि सैन जिओर्जिओ (सेंट जॉर्ज बैंक) था।

ईसा से दो हजार वर्ष पहले भी राशि उधार लेने की प्रथा प्रचलित थी। मुनस्मृति में ब्याज के बदले राशि उधार देने का पर्याप्त संकेत मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (ग्रंथ) से भी इस बात का पता चलता है कि प्राचीन काल में साहूकारी का नियम था परंतु ब्याज की दर एवं राशि वसूलने के नियम आज जैसे न थे। मध्य एशिया में हुंडी का प्रयोग 12 वी शताब्दी के आस–पास होने लगा जबकि विदेशी व्यापार का क्षेत्र बढ़ने लगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन या राशि (रकम) भेजने की आवश्यकता हुई। मुगल सम्राटों ने धनी महिलाओं और साहूकारों को कर वसूली के अधिकार सौपें और उन्हे स्थान–स्थान पर कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। जनसाधारण अपनी बचत को इन महाजनों के पास जमा करते और जमा राशि का महाजन भी ब्याज देते थे। आवयश्कता पड़ने पर लोग इन्ही ही महाजनो से राशि उधार लेते थे जिस पर उन्हे ब्याज देना पड़ता था। इस प्रकार आधुनिक बैंकों का प्रारंभ होने के पूर्व महाजन ही बैंकिंग का काम करता था, जिसके पास धनराशि जमा की जाती थी और रुपया उधार भी मिलता था।

अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक एवं मौद्रिक आवश्यकताओं के लिए एजेंसी गृह और ज्वाइन्ट स्टाक बैंक स्थापित किए। 16 वी शताब्दी के अन्त में औदयोगिक क्रांति के परिणामस्वरुप इंग्लैंड और यूरोप में व्यापार की वृद्धि हुई और वहाँ नए–नए व्यापारिक कैंद्र बनते गए। भारत में भी सन् 1806 में "बैंक ऑफ बंगाल' युरोपियन बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक विदेशी पूँजी के सहयोग से एलक्जेन्डर एण्ड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिन्दुस्तान के नाम से 1770 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था किन्तु यह शीघ्र ही असफल हो गया था। तथा इसके पश्चात सन् 1840 तथा सन् 1843 में क्रमशः 'बैंक ऑफ बॉम्बे' और बैंक ऑफ मद्रास' स्थापित किए गए। ये तीन प्रेसीडेंसी बैंक विदेशी पूँजी और संचालन से चलाए जाते थें और इनका काम ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार मे सहायता करना था। इसी

Scanned by TapScanner

काल में सन् 1881 में बैंक चार्टर एक्ट के अनुसार इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया गया। अंशधारियों का बैंक भारत में सीमित देनदारी के आधार पर सबसे पहले सन 1881 में 'अवध कमर्शियल बैंक' बनाया गया। यद्यपि इससे पहले भी इलाहाबाद बैंक और एलांयस बैंक ऑफ शिमला बन चुके थे परन्तु यह दोनों बैंक विदेशी प्रबन्ध में थे। इसके पश्चात व्यवसायिक बैंको की संख्या बढ़ती गई। सन् 1980 से लेकर सन् 2015 तक बैंको में काफी वृद्धि हुई। भारत के प्रसिद्ध बैंक, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा इसी बीच स्थापित हुए। परन्तु सन् 1930 बाद बैंकों का संकटकाल आया जिसमें अनेक बैंक बंद करने पड़े। सन् 1913–1939 के बीच भारत में लगभग 10 बैंकों को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा। प्रथम महायुद्ध समाप्त होने पर बैंकों की स्थिति में पुनः सुधार हुआ। सन् 1921 में भारत के तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। यह एक सरकारी बैंक था पर जनता के साथ भी लेनदेन करता था 1 अप्रेल 1935 को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई।

द्वितीय युद्धकाल मे अनेक नए नए बैंक खोले गए। भारत का युनाईटेड बैंक इसी काल में बनाया गया। युद्ध समाप्त होने के पश्चात बैंकिंग व्यवसाय में कुछ शिथिलता आने लगी। बैंकिंग कानूनों मे परिवर्तन संशोधन किए जाने लगे ताकि बैंकों के प्रबन्ध संचालन में कुशलता एवं मितव्ययिता आ जाए। भारत मे 1 जनवरी 1949 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल 1 जुलाई 1955 को बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया।

बैंक की क्रियाओं और सेवाओं को चार भागों में बांटा जा सकता है :

1. जनता से राशि लेकर जमा कराना
2. जनता से ऋण तथा अग्रिम धन देना
3. ग्राहकों के लिए ऐजन्ट बनकर काम करना
4. विविध सेवाएँ करना।

1. राशि जमा करना

राशि जमा कराने के लिए बैंक प्राय तीन प्रकार के लेखे खोलते है : (1) चल लेखे (2) स्थिर लेखे (3) बचत लेखे। चल लेखे में जमा राशि बैंक को जमाकर्ता की माँग पर किसी समय भी भुगतान करनी पड़ती है। अतः इसे बैंक की 'माँग देनदारी' भी कहा जाता है। स्थिर लेखों मे एक निश्चित समय के लिए राशि जमा की जाती है जो अवधि समाप्त होने से पहले निकाली नहीं जा सकती। यदि कोई जमाकर्ता स्थिर लेखें में जमा अपनी राशि को अवधि पूर्ण होने से पूर्व निकालना चाहे तो उस राशि पर ब्याज नहीं मिलता। इस प्रकार की जमा राशि को बैंक 'काल देनदारी' भी कहते हैं। तीसरे प्रकार की जमा बचत लेखे में की जाती है। बचत लेखे में निर्धारित सीमा से अधिक राशि जमा नहीं की जा सकती। इस प्रकार के लेखे कम आय वाले लोगों की बचत को प्रोत्साहन देने के लिए खोले जाते हैं। कभी–कभी विशेष कार्यों के लिए विशेष प्रकार के लेखे भी खोले जाते हैं। उदाहरणार्थ, विवाह के लिए धनराशि संग्रह के हेतु विवाह लेखा, शिक्षा के लिए राशि संग्रह करने हेतु शिक्षा लेखा आदि।

Scanned by TapScanner

2. ऋण

बैंक द्वारा ऋण तथा अग्रिम कई रुपों में दिए जाते हैं :

1. सामान्य ऋण व अग्रिम राशि स्वीकृत करके,
2. अधिविकर्ष द्वारा,
3. नकद साख के रुप में,
4. बिलों की कटौती करके

- **सामान्य ऋण व अग्रिम राशि स्वीकृत** – बैंक अपने ग्राहकों और अन्य विश्वसनीय व्यक्तियों तथा संस्थाओं को केवल व्यवसाय एवं उत्पादन संबंधी कार्यों के लिए ऋण देते हैं। ऋण देते समय बैंक ऋणयाचक के नाम से एक लेख खोलकर उसमें ऋणराशि जमा कर देते हैं जिसके बल पर ऋणयाचक आवश्यकतानुसार समय–समय पर चेक लिखकर राशि लेता रहता है। इससे बैंक को सकल ऋणराशि एक साथ ही ऋणायाचक को दे देने की आवश्यकता नहीं होती जिससे बैंक का हानिभय कम हो जाता है। ऋण वैयक्तिक साख तथा माल की जमानत पर स्वीकृत किए जाते हैं। अधिविकर्ष द्वारा ऋण देने से बैंक अपने जमाकर्ता को उसके चल तथा बचत लेखों में जमा राशि से अधिक नहीं निकालने का अधिकार दे देता है।

- **अधिविकर्ष द्वारा** – बैंक अपने ग्राहकों को अधिविकर्ष की सुविधा भी प्रदान करता है तथा ऐसी सुविधा सामान्यत चालू लेखे वाले ग्राहकों को प्रदान की जाती है। अधिविकर्ष में ग्राहक को अपनी जमा पूँजी से अधिक राशि निकालने का अधिकार होता है।

- **नकद साख के रुप में** – इसके अन्तर्गत ऋणी को एक निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकलवाने का अधिकार दिया जाता है। ऋणी इस सीमा के अन्दर आवश्यकतानुसार रुपया निकलवाता रहता है। बैंक केवल वास्तव मे निकलवाई गई राशि पर ही ब्याज लेता है।

- **बिलों की कटौती करके** – बैंक द्वारा अपनी जमाओं का सर्वाधिक भाग बिलों व हुण्डियों के रुप मे विनियोजित होता है। ये वे साख पत्र है जो उधार बेचे गए माल के भुगतान के वायदे या आदेश के रुप में निश्चित अवधि मे देय होते हैं। विक्रेता भुगतान जल्द नकद में चाहता है जबकि क्रेता भुगतान निश्चित अवधि के बाद देना चाहता है। बैंक इन दोनो की इच्छा पूर्ती करते हैं। विक्रेता बिल या हुण्डी कों बैंक से कटौती करा लेता है या भुनाता हैं। बैक इस उल्लेखित राशि में से ब्याज काटकर विक्रेता को तत्काल नकद मे भुगतान कर देता है और देय तिथि को क्रेंता से भुगतान प्राप्त कर लेता है। अगर क्रेता निर्धारित तिथि पर इस बिल या हुण्डी का भुगतान नहीं करता तो बैंक विक्रेता को उत्तरदायी ठहराकर उससे रकम वसूल कर लेता है।

Scanned by TapScanner

3. **ग्राहकों के ऐजन्ट बनकर काम करना –** व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के अभिकर्त्ता के रुप मे कार्य करता है। ये ग्राहकों की ओर से धन प्राप्त करते है, ग्राहकों की ओर से अंशो व प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय करते हैं, ग्राहको की यात्री धनादेश देते हैं, ग्राहको का प्रीमियम चुकाते हैं, विनिमय साध्य पत्रों को एकत्रित करते हैं आदि।

(1) **विभिन्न मदों का एकत्रीकरण और भुगतान** : बैंक अपने ग्राहको की ओर से चेक, किराया, ब्याज आदि एकत्र करते हैं और उनकी ओर से करों, बीमा की किश्ते आदि की अदायगी भी करते हैं।

(2) **प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री** : स्टॉक मार्केट के बारे में बैंकों को बहुत अधिक जानकारी होती है। अपने ग्राहकों की ओर से वे स्टॉक खरीदते व बेचते हैं।

(3) **ट्रस्टी तथा निष्पादक** : अपने ग्राहकों के आदेश पर बैंक उनकी सम्पत्ति के ट्रस्टी तथा निष्पादक का कार्य भी करते हैं।

(4) **रुपया भेजना** : बैंक–ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों का रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं।

(5) **विदेशी विनिमय की खरीद तथा बिक्री** : विदेशी विनिमय के क्रय–विक्रय के द्वारा बैंक अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानो को सहज बनाते हैं। किन्तु सभी व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय का व्यापार नहीं करते।

(6) **सन्दर्भ पत्र** : बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश–विदेश के व्यापारियों को देते हैं और इसी प्रकार देश–विदेश के व्यापारियों को देते हैं और इसी प्रकार देश–विदेश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना अपने ग्राहकों को देते हैं।

4. **विविध सेवाएं करना –**

(1) **विदेशी मुद्रा का क्रय–विक्रय** – साधारणतः विदेशी विनिमय के क्रय–विक्रय का कार्य विदेशी विनिमय बैंक करते हैं। परन्तु जिन देशों में विदेशी बैंकों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है वहाँ व्यापारिक बैंक भी इस कार्य को करते हैं। भारत में भी विदेशी विनिमय क्रय–विक्रय का कार्य या तो व्यापारिक बैंकों या विदेशी बैंकों की शाखाओं द्वारा किया जाता है।

(2) **आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबन्ध** – बैंकों को अल्पकालीन ऋण में व्यापार के अर्थ प्रबन्ध का कार्य महत्वपूर्ण है। वे यह कार्य बिलो, हुण्डियों, साख पत्रों के क्रय–विक्रय या कटौती द्वारा करते हैं।

(3) **आर्थिक आंकड़ों का संकलन** – आजकल देश के कैन्द्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक अपने व्यवसाय के आधार पर मुद्रा, व्यापार, उद्योग आदि से सम्बन्धित तथ्यों तथा आंकड़ो का संकलन एवं आवश्यक आर्थिक जानकारी प्राप्त करते हैं जिसके आधार पर बैंक या सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं संचालन करते हैं।

Scanned by TapScanner

(4) **वित्तिय विषयों पर परामर्श** – बैंकः पूर्णतः वित्तिय संस्थाएं होने से वित्तीय विशेषज्ञों की सेवाओं का नियोजन करते हैं और अपने ग्राहकों को भी वित्तीय मामलो पर उपयोगी सलाह देते हैं।

भारत मे बैंकिंग संस्थाएँ

(1) व्यापारिक बैंक

व्यापारिक बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जो संयुक्त स्कन्ध बैंक के रुप में सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं। व्यापारियों, उद्योगपतियों, व्यवसायियों अथवा कृषि कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण – प्रायः 3 महीने तक प्रदान करते हैं। सामान्य बैंकिंग कार्यों के अन्तर्गत ये बैंक जनता से जमा पर धन प्राप्त करते हैं। सामान्य बैंकिंग कार्यों के अन्तर्गत ये बैंक जनता से जमा पर धन प्रदान करते हैं, ऋण देते हैं, ग्राहकों के चैकों का संग्रहण एवं भुगतान करते हैं, उनके धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने, साख पत्र जारी करने तथा ग्राहकों को लॉकर्स उपलब्ध कराने तथा ग्राहकों के ऐजन्ट के रुप मे कार्य करते हैं।

हमारे देश मे मार्च 2016 को लगभग 164 व्यापारिक बैंक थे जिनमें 159 अनूसूचित बैंक तथा 5 गैर अनुसूचित बैंक थे।

1. **अनुसूचित बैंक** – अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिन्हें रिजर्व बैक की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया जा चुका है भारत मे अनुसूचित बैंकों की संख्या मार्च 2016 को 164 थी और उनकी शाखाओं की संख्या 90,775 थी। इस अनुसूची मे केवल उन बैंकों के नाम को सम्मिलित किया जाता है जो निम्नलिखित शर्तो की पूर्ती करते हैं –

   (1) बैंक की प्रदत्त पूँजी एवं कोष 5 लाख रुपये से कम नहीं है

   (2) बैंक का कार्य उसक जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध नहीं हो

   (3) यदि यह विदेशी बैंक है तो उस बैंक के देश में भारतीय बैंकों के लिए कोई अनुसूचित नियम या प्रतिबन्ध लागू नहीं हो।

   ऐसे अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक से प्रायः निम्नलिखित सुविधाएं मिल जाती है–

   1. ऐसे बैंक रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं।
   2. ऐसा बैंक स्वतः समाशोधन गृह का सदस्य हो जाता है।
   3. ऐसे बैंकों को रिजर्व बैंक प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती सुविधा करता है।

2. **गैर अनुसूचित बैंक** – जिन बैंकों का नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं है उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। भारत में ऐसे बैंकों की संख्या 1969 में 16 थी वह घटकर 1991 में केवल 3 रह गई मार्च 2016 को संख्या 4 थी।

   इन बैंकों को रिजर्व बैंक की वे सुविधाएं नहीं मिल पाती जो अनुसूचित बैंकों को प्राप्त है। मार्च 2016 को गैर अनुसूचित बैंक की संख्या 5 तथा उनकी शाखायें 55 थी।

Scanned by TapScanner

भारत में व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण

1. सार्वजनिक क्षेत्र बैंक
2. निजी क्षेत्र बैंक
3. विदेशी व्यापारिक बैंक

1. **सार्वजनिक क्षेत्र बैंक** – भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंकों मे हम 27 बैंकों का समावेश करते हैं जिनमें एक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) तथा 6 उसके सहयोगी बैक, 19 राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक तथा आई.डी.बी.आई. (IDBI) शामिल है। इन बैंकों के पास बैंक की कुल जमाओं का 92% भाग है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी बैंक – गोरवाला ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर जुलाई, 1955 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई तब से इस बैंक ने तीव्र गति की प्रगति की है और ग्रामीण साख मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है 1960 के बाद भारतीय राज्यों मे स्थित निम्नांकित 6 बैंकों को स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के रुप मे स्टेट बैंक ग्रुप मे शामिल किया गया –

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
4. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
5. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
6. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर

19 राष्ट्रीयकृत बैंक – भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र मे बैंकों मे 20 राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल हैं। इन निजी व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण दो चरण मे पूरा हुआ। बैंक राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण मे 19 जुलाई, 1969 को एक आध्यादेश द्वारा प्रथम 14 निजी व्यापारिक बैंकों को जिनमे प्रत्येक की कुल जमाएँ 50 करोड़ से अधिक थी उन्हे सरकारी स्वामित्व में ले लिया गया।

बैंक राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण मे एक दूसरे अध्यादेश द्वारा 6 और निजी व्यापारिक बैंको को जिनकी प्रत्येक की कुल जमाएँ 200 करोड़ रु से अधिक थी उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया जो क्रम संख्या 15 से 20 में शामिल हैं–

Scanned by TapScanner

प्रथम चरण –

1. पंजाब नेशनल बैंक
2. सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
3. यूको बैंक
4. बैंक ऑफ बड़ौदा
5. बैंक ऑफ इंडिया
6. कैनरा बैंक
7. सिण्डीकेट बैंक
8. देना बैंक
9. यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
10. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
11. इण्डियन बैंक
12. इलाहाबाद बैंक
13. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
14. इण्डियन ओवरसीज बैंक

द्वितीय चरण –

15. विजया बैंक
16. आन्ध्र बैंक
17. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
18. न्यू बैंक ऑफ इंडिया
19. कोरपोरेशन बैंक
20. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

यद्यपि प्रारम्भ में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 थी किन्तु बाद में न्यू बैंक ऑफ इंडिया की विलीनीकरण पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया अतः अब स्टेट बैंक समूह के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है।

2. **निजी व्यापारिक बैंक** – भारत के निजी क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों में उन बैंकों का समावेश है जो निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा स्थापित संयुक्त पूंजी बैंकर के रुप मे कार्य कर रहे हैं। इसमे यस बैक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक आदि जैसे 22 बैंक शामिल है। उनकी 11,842 शाखाएँ हैं।

3. **विदेशी व्यापारिक बैंक** – इसके अन्तर्गत विदेशी बैंकों की शाखाओं का समावेश है जो भारत में कार्य कर रहे हैं। भारत मे मार्च 2016 को विदेशी बैंकों की संख्या 27 थी और उनकी लगभग 318 शाखाएं थीं। ये भारत के निर्यात व्यापार का 70% तथा आयातो का 90% वित्त प्रबन्ध करते हैं।

Scanned by TapScanner

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण बैंकों में वित्त व्यवस्था तथा बचतों का एकत्रित कर पूंजी निर्माण की ओर अग्रसर करने के लिये ये बैंक स्थापित किये गये हैं। भारत मे 30 जून 2005 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 थी और उनकी शाखाओं की संख्या 14,501 थी। किन्तु समामेलन के कारण क्षेत्रीय बैंकों की संख्या **मार्च 2016** तक घटकर 88 रह गई तथा शाखाएँ 15,777 थी।

(3) सहकारी बैंक

भारत के विभिन्न राज्यों मे सहकारी बैंकों का त्रि–स्तरीय ढांचा है जिसमें शीर्ष पर राज्य सहकारी बैंक का होता है। जिला स्तर पर कैन्द्रीय जिला सहकारी बैंक होता है तथा स्थानीय स्तर पर प्राथमिक ऋण सहकारी समितियां होती है। आजकल शहरी सहकारी बैंक भी कार्यरत है भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों मे इस प्रकार के कई बैंक कार्यरत हैं। 1956 से इन बैंकों पर भी भारतीय बैंकिंग अधिनियम लागू हैं। ये बैंक प्रायः अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। इन ऋणों की पुनर्वित्त व्यवस्था राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा की जाती है।

(4) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

भारत मे कृषि क्षेत्र मे दीर्घकालीन ऋणों की आपूर्ती सहकारी कृषि एव ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा भूमि को बन्धक रखकर की जाती है। इनकी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामींण विकास बैंक होता है जबकि स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होते हैं।

(5) औद्योगिक विकास बैंक

भारत में औद्योगिक विकास की वित्त व्यवस्था हेतु शीर्ष संस्थाओं के रुप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक हैं किन्तु इनके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर दो और वित्तिय संस्थाएं है–

(1) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम – जो सार्वजनिक पूंजी कम्पनियों को दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त व्यवस्था करता है।

(2) भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम अर्थात ICICI – यह निगम निजी क्षेत्र में औद्योगिक कम्पनियों एंव उपक्रमो को वित्तिय सहायता प्रदान करता है। अब यह व्यापारिक बैंक के रुप मे भी कार्य करता है।

राज्य स्तर पर भी अलग–अलग राज्यों मे औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिये औद्योगिक वित्त निगम स्थापित किये गये हैं। उदाहरण के लिये राजस्थान में राजस्थान वित्त निगम (R.F.C.) तथा राजस्थान औद्योगिक विनियोग निगम (RIICO) के नाम उल्लेखनीय है।

इस प्रकार भारत में बैंकिंग व्यवस्था का बड़ा व्यापक आधार तैयार किया जा चुका है। इनके अलावा भी कई वित्तिय संस्थाएँ कार्यरत है।

Scanned by TapScanner

आधुनिक बैंकों के कार्य

जैसा कि बैंकों के प्रकार बताते हुए स्पष्ट किया जा चुका है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टीकरण को जन्म दिया है। अतः विभिन्न प्रकार के बैंकों के कार्यों में कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होती है जैसे देश के केन्द्रीय बैंक के कार्य व्यापारिक बैंकों से तथा औद्योगिक बैंकों से भिन्न है, कार्य क्षेत्र भी अलग–अलग हैं। सामान्यतः आधुनिक बैंकों का समुचित अर्थ केवल व्यापारिक बैंकों से लगाया जाता है। इस दृष्टि में विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक बैंकों के सामान्यत निम्न कार्य बताए गए हैं–

1. **निक्षेप प्राप्त करना** – बैंकों का प्रमुख कार्य जनता से रुपया प्राप्त कर भण्डार बनाना है जिसे वे बाद में उधार दे सकें। छोटी–छोटी मात्रा में व्यक्तिगत एवं संस्थागत बचतें जमा कर बैंक अतुल धनराशि संग्रह कर लेते हैं। बैंक जनता से, सरकार से, अन्य बैंकों से जमा पर रुपया प्राप्त करते है। ये जमाकर्ताओं की बचत के आकार, प्रकृति आदि को ध्यान में रखते हुए चार प्रकार के खातों में रुपया जमा करते हैं–

(1) **स्थायी जमा खाता** – इसे निश्चित जमा तथा समयावधि जमा भी कहा जाता है। यह उन लोगों के लिए है जो निश्चित अवधि तक अपनी बचत को जमा करना चाहते हैं। उससे पहले उन्हें यह राशि प्राप्त नहीं होती। यह राशि 3 महीने, 6 महीने, एक वर्ष, 2,3,5,10 वर्षों तथा लगभग 20 वर्षों तक की अवधि के लिए जमा होती है। इस प्रकार की जमाओ पर अपेक्षाकृत अधिक दर से ब्याज चुकाया जाता है। रुपया जमा कराने वाले को निश्चित जमा की रसीद मिलती है जिसमें भुगतान की अन्तिम तिथि, ब्याज की दर आदि शर्तों का संक्षिप्त विवरण होता है। अन्तिम तिथि को ब्याज व रकम लौटाई या पुनः जमा पर प्राप्त की जा सकती है। यह उन धनिक व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो अधिक जोखिम उठाना नहीं चाहते तथा सुरक्षा के साथ–साथ बचत पर साधारण दर से अधिक ब्याज लेना चाहते हैं। ये खाते कभी–कभी अनिश्चित काल जमा के रुप मे भी होते हैं।

(2) **चालू जमा खाता** – यह खाता व्यापारियों, व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों के लिए उपयुक्त है जिन्हें अनेक भुगतान प्राप्त होते हैं तथा अनेक भुगतान प्राप्त करने पड़ते हैं। इस प्रकार खाते में जब चाहे तब बैंकिग कार्यवधि में रुपया जमा कराया जा सकता है तथा चैक आदि से निकाला जा सकता है। सामान्यतः इस प्रकार के खातो में जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता पर कुछ बड़े बैंक बहुत ही कम दर पर ब्याज चुकाते हैं और जमा से अधिक रुपया निकालने की भी सुविधा देते हैं, पर उस पर अपेक्षाकृत ब्याज की ऊँची दर वसूल की जाती है ताकि अनावश्यक उधार न लें। जमाकर्ता को पास–बुक व चैक–बुक दी जाती है।

(3) **बचत जमा खाता** – इस प्रकार के जमा खाते अल्प जमाकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए खोले जाते हैं जिससे अल्प आय वालों की थोड़ी–थोड़ी बचतों से बैंक देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन दे सके तथा जमाकर्त्ताओं को बचत की प्रेरणा, बचतों की सुरक्षा तथा बचतों पर ब्याज का लाभ हो। जमा कराने में कोई शर्त नहीं जब चाहे जमा करा सकते हैं पर वापस निकालने मे सामान्यतः कुछ शर्तें लगा दी जाती है। पर ये शर्तें इतनी कठोर नही होती कि बचत करने की प्रवृत्ति पर बुरा असर पड़े। ऐसे खाते नौकरी–पेशा लोगों एवं छोटे व्यापारियो के लिए उपयुक्त होते हैं। पश्चिमी देशों में बचत बैंक अलग है पर भारत मे व्यापारिक बैंक ही इस कार्य को करते हैं। पोस्ट – ऑफिस सेविंग्स खाता भी इसी का विभागीय रुप है।

Scanned by TapScanner

(4) **घेरलू बचत खाता** – उन लोगों में भी बचत को प्रोत्साहन को देकर साधनों के संग्रह का तरीका है जिनको बचत की आदत ही नहीं है। छोटे बच्चों और बड़ों सब में आय की सीमितता के बावजूद बचत की प्रेरणा के लिए घर पर ताला बन्द एक गुल्लक, तिजोरी या बचत डब्बा दिया जाता है, जिसमे थोड़ी–थोड़ी रकम रोज या प्रति सप्ताह जमा करने पर भी साल में एक अच्छी खासी रकम हो जाती है, कभी–कभी बैंक के कर्मचारी महीने के प्रथम सप्ताह में घर–घर घूम कर ऐसी बचतें प्राप्त कर ग्राहकों को और स्वयं को लाभान्वित करते हैं। भारत के शहरों मे यह प्रथा डाकघर बचत खातों व बैंकों मे प्रचलित हुई हैं। इसमें ब्याज की दर बहुत कम तथा निकालने की शर्तें कुछ कठोर होती हैं।

2. **ऋण देना** – बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋण उधार देना है। जितनी रकम जमा पर प्राप्त की जाती है उसका अधिकांश भाग उधार या अग्रिम देकर लाभ कमाया जाता है। बैंक कम ब्याज दर पर रुपया जमा करते हैं और अधिक ब्याज दर पर उधार देते हैं। उधार देते समय धन की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। साधारणतः उधार या अग्रिम की निम्न विधियाँ है–

(1) **ऋण एवं अग्रिम** – उचित जमानत के आधार पर बैंक निश्चित अवधि के लिए किसी कार्य विशेष हेतु ऋण एवं अग्रिम देते हैं। सामान्यतः यह राशि बैंक नकद न देकर उस राशि को ऋणी के खाते में जमा कर देता है जिससे वह उस राशि में से समय–समय पर आवश्यकतानुसार धन निकाल सकें। सम्पूर्ण ऋण की वापसी पर ही ऋण का अन्त माना जाता है। ब्याज कुल रकम पर लगता है। ब्याज की दर अधिक होती है और जमानत पर ही सुरक्षा के अनुसार ये ऋण दिये जाते हैं।

(2) **अधिविकर्ष** – सब बैंक अपने चालू खाते वाले ग्राहकों को ही उनकी जमा रकम से अधिक रुपया निकालने की अनुमति देता है तो इसे अधिविकर्ष के नाम से पुकारा जाता है। यह केवल अल्पकाल के लिए विश्वासपात्र चालू खाते वाले ग्राहकों को प्रदान की गई सुविधा होती है। यह ध्यान रखने योग्य है कि ऋण एवं अग्रिंम किसी को भी दिया जा सकता है पर अधिविकर्ष का अधिकार केवल चालू खाता जमाकर्त्ता को ही मिलता है। अधिविकर्ष में सरकार की निति, कैन्द्रीय बैंक की ऋण निति के साथ–साथ ग्राहकों की भी साख का ध्यान रखा जाता है।

(3) **नकद साख** – इसके अन्तर्गत बैंक, व्यापारिक माल, स्वीकृत प्रतिभूतियों, अंश व बॉण्ड आदि की जमानत पर ग्राहकों को निश्चित मात्रा पर ऋण देता है। ग्राहकों के खातों की रकम जमा कर ली जाती है और जमानत में दी गई वस्तुओ को बैंक अपने अधिकार और संरक्षण मे लेता है। ग्राहक ऋण समय–समय पर चुकाता रहता है और अपनी जमानत की वस्तुएं लेता रहता है। बकाया राशि का ही ब्याज लिया जाता है। नकद साख और अधिविकर्ष मे यह मौलिक अन्तर है कि नकद साख किसी को भी स्वीकार की जा सकती है पर अधिविकर्ष केवल चालू खाता रखने वाला व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं। नकद साख जमानत पर एक वर्ष के लिए तथा कुछ अधिक ब्याज दर पर दी जाती है जबकि अधिविकर्ष बिना जमानत के आपातकाल के लिए तथा नकद साख के मुकाबले कम ब्याज पर दिये जाते हैं।

Scanned by TapScanner

(4) **बिलों व हुण्डियों की कटौती या भुनाना** – बैंकों द्वारा अपनी जमाओं का सर्वाधिक भाग व्यावसायिक बिलों व हुण्डियों के रुप मे विनियोजित होता हैं। ये वे साख–पत्र होते हैं जो उधार बेचे गए माल के भुगतान के वायदे या आदेश के रुप में निश्चित अवधि मे देय होते हैं। विक्रेता भुगतान जल्द नकद में चाहता है जबकि क्रेता भुगतान निश्चित अवधि के बाद देना चाहता है। बैंक इन दोनो की इच्छा पूर्ती करते हैं। विक्रेता बिल या हुण्डी को बैंक से कटौती करा लेता है या भुनाता है। बैंक इसमें उल्लेखित राशि में से भुगतान अवधि तक का ब्याज काटकर विक्रेता को तत्काल भुगतान कर देता है और देय तिथि को क्रेता से भुगतान प्राप्त कर लेता है। अगर क्रेता निर्धारित तिथि पर इस बिल या हुण्डी का भुगतान नहीं करता तो बैंक विक्रेता को उत्तरदायी ठहराकर उससे रकम वसूल कर लेता है।

3. **बैंकों द्वारा साख निर्माण** – बैंक जनता से रुपया जमा पर प्राप्त करते और उधार देते हैं। इससे जहां एक ओर जमाओं से ऋण उत्पन्न होते हैं और वही दूसरी ओर ऋणों से जमाओं को जन्म मिलता है। यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। इससे बैंक अपने पास नकद जमाओं से कहीं अधिक ऋण देने में समर्थ हो जाते है। बैंक नोंटो का निर्गमन करके भी साख का निर्माण करते है। भारत में कैन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक) नोट निर्गमन कर साख का निर्माण करता है। दूसरे बैंक नहीं।

4. **नोट निर्गमन का कार्य** – पत्र–मुद्रा विकास की प्रारम्भिक अवस्था में अनेक व्यापारिक बैंक नोट निर्गमन का कार्य करते थे। भारत में भी 1935 से पूर्व इम्पीरियल बैंक (अब स्टेट बैंक) व अन्य बड़े प्रेसीडेन्सी बैंक नोट निर्गमन का कार्य करते थे पर 1935 से रिजर्व बैंक को ही नोट निर्गमन करने का एकाधिकार है। अब विश्व के प्रायः सभी देशों में नोट निर्गमन कार्य व्यापारिक बैंकों के हाथ में न होकर प्रत्येक देश के कैन्द्रीय बैंक के हाथ में है।

5. **बैंकों के ऐजन्सी अथवा प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कार्य** – इसे अभिकर्ता कार्य भी कहा जाता है। क्योंकि आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों के प्रतिनिधि के रुप मे अनेंक सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ सेवाएँ निःशुल्क और कुछ सेवायें साधारण शुल्क पर प्रदान की जाती हैं। प्रतिनिधित्व सम्बन्धी मुख्य कार्य निम्न है –

(1) **चैक, हुण्डी व बिलों के भुगतान का संग्रहण** – बैंक ग्राहकों के प्रतिनिधि के रुप में उनके द्वारा प्राप्त चैकों, बिलों, हुण्डियों तथा अन्य साख–पत्रों का भुगतान इकट्ठा करता है तथा संग्रहण कर ग्राहकों के खाते में जमा कर देता है। स्थानीय सेवाएँ प्रायः निःशुल्क और बाहर के साख पत्रों के लिए शुल्क वसूल किया जाता है।

(2) **ग्राहकों के भुगतान प्राप्त करना** – उपयुक्त साख–पत्रों के भुगतान के अलावा भी बैंक प्रतिनिधि के रुप में ग्राहकों के लाभांश, ब्याज, किराया, कमीशन आदि की राशि एकत्रित कर ग्राहकों के खाते में जमा कर देता है।

(3) **साख पत्रों का भुगतान** – ग्राहकों द्वारा जिन चैकों, साख–पत्र, बिलों व हुण्डियों का भुगतान अन्तिम तिथि पर दूसरे ऋणदाताओं को करना है, बैंक भुगतान कर रकम ग्राहकों के नाम लिख देता है।

Scanned by TapScanner

(4) **ग्राहकों के अन्य भुगतान चुकाना** – जिस प्रकार से बैंक अपने ग्राहकों के भुगतान प्राप्त करता है। उसी तरह से ग्राहकों के प्रतिनिधि के रुप मे भुगतान चुकाता भी है अर्थात ब्याज, किराया, लाभांश, बीमा, प्रीमियम, कमीशन तथा अन्य देय भुगतान करता है। इसके लिए बैंक कुछ कमीशन वसूल करता है।

(5) **अंशो तथा प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय** – बैंक प्रतिनिधि के रुप मे अपने ग्राहकों के लिए अंशो तथा प्रतिभूतियों को क्रय करता है और उन्हे आवश्यकता न होने पर बेच देता है, क्योंकि शेयर बाजार से ग्राहकों की अपेक्षा बैंक भलीभांति परिचित ही नहीं रहते, बल्कि उनका शेयर बाजारों के दलालों व कमीशन ऐजन्टों से निकटतम सम्पर्क रहता है। इन कार्य के लिए बैंक कुछ कमीशन वसूल करते हैं।

(6) **धन हस्तान्तरण एवं प्रेषण** – बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। नकद धन जमा कराकर बैंक ड्राफ्ट के रुप में दूसरी जगह भेजना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी व्यक्ति के खातें में धनराशि का हस्तान्तरण करना बैंकों की महत्वपूर्ण सेवा है।

आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका अथवा उसका महत्त्व

विल रोजर्स ने कहा है कि "अतीत से आज तक तीन महान अविष्कार हुए हैं, आग, पहिया, तथा कैन्द्रीय बैंकिंग" (There have been three great invenstions since the beginning of time: Fire, the Wheel and the Central Banking). देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक का मुख्य उदेश्य आर्थिक विकास की गति को तीव्र बनाना होता है। व्यापारिक बैंक अधिकांशतः व्यापार तथा उद्योग की वित्तिय आवश्यकताओ की पूर्ती करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग को ऋण प्रदान करते हैं। भारत में व्यापारिक बैक साधारण बैंकिंग प्रायः सभी कार्यों को सम्पन्न करते है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन व आर्थिक विकास में आधुनिक बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास एवं स्थायित्व के लिए एक उन्नत एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था आवश्यक है क्योकि आज समूची उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था बहुत कुछ बैंकों पर आश्रित है। बैंकों के विकास ने पूँजी निर्माण को सम्भव बनाया जिसमें औद्योगिक विकास की जड़ पनपती है। बचतों को प्रोत्साहन मिलता है साधनों मे गतिशीलता प्रदान की है और बड़े पैमाने पर उत्पत्ति को सम्भव बनाया है। यही कारण है कि अनेक अर्थशास्त्रियों ने बैंकों को व्यापारिक तथा औद्योगिक व्यवस्था का हृदय व केन्द्र बिन्दु माना है।

(1) **बचतों को प्रोत्साहन** – बैंक लोगों में बचत करने की आदत को प्रोत्साहन देतें है और उनकी छोटी–छोटी बचतों को संग्रहित करते हैं। बचतकर्ताओं को ब्याज का प्रलोभन रहता ही है। परन्तु बैंक द्वारा नियमित भुगतान से विश्वास तथा सुरक्षा की भावना बढ़ती है। पिछड़े राष्ट्रों में जहाँ लोगों में बचत करने की आदत कम है तथा आय का स्तर कम होने से बचते बहुत कम होती है, बैंक उनकी छोटी–छोटी बचतों को जमाकर एक जगह संग्रहित कर व्यापार एवं उद्योग के लिए उपलब्ध करते हैं।

(2) **पूँजी निर्माण** – बैंक साख निर्माण तथा लोगों से अनेक प्रकार के खातों मे धन जमा कर पूँजी निर्माण करते हैं। आर्थिक विकास मे पूँजी निर्माण प्राथमिक आवश्यकता है। जो लोग जोखिम उठाना नही चाहते, बैंक उनके धन को जमा कर व्यापार उद्योग व्यवसाय आदि उत्पादक कार्यों में लगाते हैं।

Scanned by TapScanner

(3) **विनियोग एवं अर्थ प्रबन्धन** – वित्तिय साधन उद्योग के रक्तदान है। अब बड़े पैमाने के उद्योगों में बड़ी मात्रा मे स्थायी एवं कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है। आज कोई भी व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों न हो बड़े उद्योगों के संचालन हेतु अकेला वित्तीय साधन नहीं जुटा सकता। उसके साधनों की व्यवस्था बैकिंग व्यवस्था से होती है। आज व्यापार, उद्योग, व्यवसाय सभी में बड़ी मात्रा में बैंकों द्वारा पूँजी विनियोग किया जाता है।

(4) **साधनों मे गतिशीलता** – बैंक उत्पत्ति के साधनो को गतिशीलता प्रदान करते हैं। बैंक उन कार्यों में धन लगाते हैं, जो अधिक उत्पादन, कम जोखिमपूर्ण तथा आर्थिक प्रगति के लिए उपयुक्त हों। अतः बैंकों के कारण साधनों का स्थानान्तरण कम उत्पादक उद्योगों से अधिक उत्पादक उद्योगों में होता है जिससे उत्पादन और रोजगार मे वृद्धि के साथ–साथ सामान्य **जीवन –स्तर में वृद्धि होती है और देश के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।**

(5) **मुद्रा प्रणाली में लोच एवं कीमतों मे स्थायित्व** – आर्थिक विकास के लिये मुद्रा प्रणाली में लोच और कीमतों में सापेक्षिक स्थायित्व आवश्यक है। बैंक साख निर्माण से मुद्रा प्रणाली को लोच प्रदान करते हैं। इस लोच एवं साख सजृन पर उचित नियन्त्रण करके बैंकिंग व्यवस्था कीमतों में होने वाले उच्चावचनों को रोककर स्थायित्व ला सकती है।

(6) **राजकीय वित्त व्यवस्था** – आजकल राज्य का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। आधुनिक राज्यों को अनेक प्रकार से आय प्राप्त होती है और अनेक प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं। राज्य के प्रतिनिधि के रुप में सार्वजनिक ऋणों का संग्रह करते हैं। सरकार को वित्तीय परामर्श देते हैं तथा सरकार को ऋण प्रदान कर उनको आर्थिक विकास के कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं।

(7) **क्षेत्रीय आधार पर कोषों का उपयुक्त वितरण** – बैंक पूँजी को अत्यधिक पूँजी वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को स्थानान्तरित करते हैं, जिसमें उस पूँजी का लाभदायक तथा कुशल उपयोग होता है। पिछड़े क्षेत्रों मे आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है और क्षेत्रीय विषमता कम होती है।

(8) **बहुमूल्य धातुओं की बचत एवं विनिमय का सस्ता साधन** – बैंकों के द्वारा साख–पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों आदि के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है, जिनसें विनिमय में अधिक सुविधा ही नहीं होती बल्कि उनके उपयोग से जो स्वर्ण, रजत और बहुमूल्य धातुओं की बचत हुई है उनका उपयोग अधिक महत्वपूर्ण कार्य में होने लगा है।

(9) **मुद्रा हस्तांतरण सुगम एवं सस्ता** – बैंकों ने आन्तरिक एवं ब्राहा भुगतानों मे मुद्रा हस्तांतरण को बहुत ही सस्ता, सुविधाजनक एवं कम से कम जोखिमपूर्ण बना दिया है। इससे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला है और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है आज बैंकों के माध्यम से विदेशी पूँजी देश के उत्पादक कार्यों में लगाई जा रही है। विदेशो में पूँजी का आयात सरल हो गया है।

(10) **प्रतिनिधित्व एवं परामर्श** – बैंक अपने ग्राहकों, उत्पादको, व्यापारियों एवं व्यावसायियों के लिए प्रतिनिधित्व का कार्य कर अनेक सेवाएं प्रदान करते है, सलाह भी देते हैं।

(11) **रोजगार में वृद्धि** – बैंकिंग विकास से न केवल बैंकिंग क्षेत्र में लोगो को रोजगार के अवसर प्राप्त होते है, बल्कि बैंकों द्वारा विनियोग, अर्थ–प्रबन्ध आदि से व्यापार, उद्योग एवं क्षेत्रों में विकास से रोजगार वृद्धि होती है।

इस प्रकार निष्कर्ष रुप से यह कहा जा सकता है कि आधुनिक बैंक अर्थव्यवस्था में अनेक कार्यों से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते है, तथा अर्थव्यवस्था के सफल संचालन में योगदान देते हैं।

Scanned by TapScanner

सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के उपाय

सरकार द्वारा अब तक बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधार निम्नलिखित हैं –

1. विशाल बजटीय घाटों से उत्पन्न मुद्रा स्फीतिक दबावों को कम करने के लिए अस्सी के दशक के दौरान वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) और नकद कोष अनुपात मे लगातार वृद्धि हुई और 1991–92 में इनका स्तर अत्यधिक ऊँचा था। इस स्थिति के कारण बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उन्हे विवश होकर वाणिज्यिक दृष्टि से दिए जाने वाले ऋणों का ऊँचा ब्याज वसूल करना पड़ा। अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि SLR और CRR दोनों को धीरे–धीरे कम किया जाएगा।

2. रिजर्व बैंक ने अपने बैंकों के लिए आय की पहचान, परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण, अप्राप्य ऋणों और पूँजी की पर्याप्तता के बारे मे नए विवेकपूर्ण मापदण्ड निर्धारित किए हैं।

3. बैंकों के तुलन–पत्र और लाभ हानि खाते के पूर्व–प्रचलित स्वरुपो बैंकों की वास्तविक वित्तिय स्थिति को प्रकट नहीं करते थे। अतः उनमे संशोधन किया गया है और 1991–92 के बैंकिंग लेखा वर्ष से लागू किया गया है।

4. जो बैंक पूँजी पर्याप्तता मापदण्डों और विवेकपूर्ण लेखा मानको को प्राप्त करनें मे सफल हो गए हैं उन्हे रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही शाखा खोलने का अधिकार दिया गया है। बैंक अब अपने शाखा तंत्र का विवेकीकरण कर सकते हैं। इस दृष्टि से वे शाखाओं का फिर से स्थान निर्धारित कर सकते हैं, विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाली शाखाएं खोल सकते हैं इत्यादि।

5. बैंक ऋणो पर 1989–90 में लगभग 20 विभिन्न ब्याज दरे होती थी जिन्हें 1993–94 के वित्तिय वर्ष से घटाकर 3 कर दिया गया है। ब्याज दर ढाँचे को एकीकृत करने के इस प्रयास का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में अन्योन्य अर्थ सहायता के अंश को कम करना है।

6. रिजर्व बैंक के एक उप गर्वनर की अध्यक्षता में वित्तिय निरिक्षण के लिए एक नए बोर्ड के गठन से रिजर्व बैंक की निरिक्षण व्यवस्था को ज्यादा समर्थ बनाया जा रहा है।

7. बैंकों और दूसरे वित्तिय संस्थाओं की बीते वर्षों मे ऋण वसूली असन्तोषजनक रही है। अतः 1993 में एक अधिनियम बनाया गया है जिसके अन्तर्गत ऋणो की वसूली को सहज बनाने के लिए विशेष वसूली अधिकरण स्थापित करने की व्यवस्था है।

8. बैंकों के प्रबन्ध और उनकी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक और सार्वजनिक बैंकों के बीच समझौते किए गए हैं। इस दृष्टि से प्रबन्ध सूचना प्रणाली और आन्तरिक लेखा परीक्षण एवं नियन्त्रण तत्वो का काफी महत्व है।

9. राष्ट्रीयकृत बैंकों की सरकारी इक्विटी धारिता का अनुपात कम करने के लिए विधायी उपाय शुरु किया गया है।

10. भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से बीमा कारोबार में प्रवेश हेतु बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तिय कम्पनियों की अनुमति प्रदान की गई हैं।

11. निजी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश के लिए संशोधित मापदण्ड अपनाए गए हैं।

Scanned by TapScanner

बैंकिंग और वित्तिय सुधार

- बैंकों को निर्यातकों एवं ऋण के लिए पात्र अन्य उधारकर्ताओं को सर्वोच्च ब्याज दरों (P.L.R.) से कम दरों पर 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण की पेशकश करने और वरिष्ट नागरिकों के हित मे उच्चतर और निर्धारित देरों वाली जमाराशि योजनाएं तैयार करने की स्वतन्त्रता दी गई।

- बैंकों की कार्यशील पूँजी ऋणों के संशोधन में शिथिलता प्रदान की गई।

- बैंकों द्वारा एल.एस.आर भिन्न प्रतिभूतियों में निवेश हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए।

- शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियो के लिए और अधिक सुरक्षा निश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण दिशा–निर्देश।

- जहाँ तक गैर बैंकिंग वित्तिय कम्पनियों का सम्बन्ध है। सार्वजनिक जमाराशियों पर अधिकतम ब्याज दरों का 14 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने से सम्बन्धित मुख्य नीतिगत उपाय 1 नवम्बर, 2001 से प्रभावी है।

- बैंकों मे बीस्ले लेखा पद्धति लागू की गई जिसके अन्तर्गत केवल उन्हीं ब्याज प्राप्तियों को आय का अंग माना गया जो बैंकों को वास्तविक रुप से प्राप्त होती है। बैंकों से कहा गया कि वे अपनी आसतियों को निम्नलिखित रुप से वर्गीकृत करें–
  (1) स्टैण्डर्ड आस्तियाँ
  (2) सब – स्टैण्डर्ड आस्तियाँ
  (3) सन्देहात्मक आस्तियाँ
  (4) हानिपरक आस्तियाँ

- सर्वाधिक तरलता अनुपात को 24 प्रतिशत से शीर्ष स्तर से घटाकर 21.5 प्रतिशत तथा नकदी आरक्षित अनुपात (CRR) में काफी परिवर्तन किया गया हैं ताकि बैंकों की तरलता में वृद्धि हो। मार्च 2016 को यह दर 4 प्रतिशत है।

- 15 लाख रुपये से कम की राशि वाली सावधि जमा की न्यूनतम अवधि 15 दिन की गई तथा 15 लाख रुपये से अधिक के लिये यह अवधि 7 दिन के लिए की गई है।

- बैंक बचत खातों पर देय ब्याज दर को 4 प्रतिशत कर दिया गया है।

- बैंकिंग कम्पनियों ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर वर्ष जून 2016 में 100% कर दिया गया है।

गैर निष्पादनकारी सम्पत्तियाँ : राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय बैंकिग क्षेत्र मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र मे हुए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से भारत के सर्वागीण विकास में वाणिज्यिक बैंकों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। 1969 से 2000 के मध्य व्यापारिक बैंकों ने धनात्मक परिवर्तन दिए लेकिन विगत वर्षो में बैंकों की लाभदायकता में गिरावट आई है। नीची लाभप्रदता का प्रमुख कारण बैंकों की गैर–निष्पादनीय परिसम्पत्तियों में भारी वृद्धि हो जाना है।

Scanned by TapScanner

गैर – निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ बैंकों एवं वित्तिय संस्थानों द्वारा वितरित वे ऋण हैं जिनके मूलधन एवं उस पर देय ब्याज की वापसी समय से नहीं हो पाती या बिल्कुल नहीं हो पाती। दूसरे शब्दो में गैर–निष्पादनकारी परिसम्पत्ति से आशय ऐसे अग्रिमो या बैंकों द्वारा दिए गए पिछले ऋणों से है जिनके मूलधन तथा ब्याज का भुगतान ऋणीं द्वारा 180 या उससे अधिक दिनों तक नहीं किया गया है और इस प्रकार बकाया राशि एकत्र होती गई है। RBI के आंकड़ो के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के समग्र NPA का बढ़ता हुआ सम्मान विगत तीन वर्षों (2010 से 2012 तक) में क्रमशः मार्च 2010 में 59,972 करोड़, मार्च 2011 में 71080 करोड़, मार्च 2012 में 112489 करोड़ तथा सितम्बर 2012 में 144737 करोड़ हो गया है। वर्ष 2016 में बढ़कर यह 2.67 करोड हो गया है। प्रदत्त की प्रतिशता के रुप में NPA 2008–09 में 2.09% की तुलना में सितम्बर 2012 में 4.01% के स्तर पर थे। **वर्ष 2016** में यह दर 5.43% है।

देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक की सकल गैर–निष्पादनीय आस्तियाँ 40,756 करोड़, भारतीय स्टेट बैंक समूह के अन्य बैंकों की सकल गैर–निष्पादनीय आस्तियाँ 50424 करोड़, निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आई.सी.आई.सी.आई बैंक की 9544 करोड़, एक्सिस बैंक की 2,006 करोड़, एच.डी.एफ.सी. बैंक की 1,832 करोड़ थी। वर्तमान में सरकारी बैंकों की कुल NPA 2,67,065 लाख करोड़ से बढ़कर 3,61,731 लाख करोड़ हो गई है और निजी बैंको की NPA में 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का गैर–निष्पादन परिसम्पतियों के मामलें में वित्तिय संस्थानों में अग्रणी स्थान है। IFCI तथा ICICI का इस मामले में वित्तिय संस्थानों में क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान है।

भारत में सार्वजनिक बैंकों की लाभदेयता में वृद्धि के लिए नरसिम्हन् समिति (II) ने सभी बैंकों के लिए निवल गैर–निष्पादनकारी सम्पत्तियों के औसत स्तर को 3% तक कम करने पर बल दिया था।

गैर – निष्पादनीय परिसम्पत्तियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

1. घटिया परिसम्पतियाँ : बैंकों द्वारा वितरित ऋणो के मूलधन तथा उस पर देय ब्याज का पुनर्भुगतान जब दो वर्ष तक नहीं किया जाता, तो ऐसी परिसम्पत्तियों को घटिया या सब स्टैण्डर्ड परिसम्पत्तियों की संज्ञा दी जाती है।

2. सन्देहात्मक परिसम्पतियाँ : ऐसे ऋण जो दो वर्षों तक गैर–निष्पादनीय रहे हैं। परन्तु जिनके वसूल होने की सम्भावना हैं अर्थात जिन्हे क्षति परिसम्पत्तियाँ नहीं मान ली गई हैं सन्देहात्मक परिसम्पतियाँ कहलाती हैं। इसमें बीमार कम्पनियों द्वारा लिए गए ऋण आतें हैं। जिन्हें औद्योगिक एवं वित्तिय पुननिर्माण बोर्ड को सन्दर्भित कर दिया गया है।

3. क्षति परिसम्पतियाँ : ऐसी परिसम्पति जिसकी पहचान क्षति के रुप में कर ली गई है, परन्तु उसे अपलिखित नहीं किया गया है क्षति परिसम्पतियों के रुप में वर्गीकृत किए जाते हैं। इसमें वैसे ऋण आतें हैं जो वसूल किए जाने की स्थिति में नहीं होते।

रिजर्व बैंक की व्यवस्था के अनुसार बैंकों को ऋणों की वसूली न हो पाने से होने वाली हानि के विरुद्ध सुरक्षा के रुप में अपनी निधियों का एक भाग अलग रखना पड़ता है। वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को अपनी गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियों के मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार बैंकों की लगभग 52 हजार करोड़ रुपए की राशि ऐसे मामलों में बकाया है जिसे बैंकों की गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियों की श्रेणी में शामिल किया जाता है।

Scanned by TapScanner

बैंकों एवं अन्य वित्तिय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऐसे ऋण जो वसूल नहीं हो पा रहे हैं की वसूली में तेजी लाने के लिए सरकार ने 8 शहरों कोलकता, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर, चेन्नई, गुवाहाटी तथा पटना में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recoverry Tribunals) स्थापित किए हैं। एक अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) मुम्बई भी कार्यरत है। इन न्यायाधिकरणों की स्थापना 1993 के 'Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institution Act' के अनुपालन के उद्देश्य से की गई है।

सिक्योरिटाइजेशल एण्ड रिक्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल ऐसेटस एण्ड फन्फोर्समेन्ट एक्ट – 2002 – SAFASI Act – 2002 के लागू होने से ऋणदाता बैंकों एवं वित्तिय संस्थानों को यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि ऋण लेकर हजम करने वालों से बिना कोर्ट–कचहरी के चक्कर लगाए वसूली वह कर सकेंगे। सिक्योरिटाइजेशन एक्ट नाम से प्रसिद्ध इस अधिनियम के द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को ऋणों की अदायगी में चूक करने वाले दोषियों की गिरवी रखी गई सम्पत्तियों को जब्त करने तथा अपने ऋणों की वसूली के लिए उसकी बिक्री करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

ई– बैंकिंग (E-Banking)

सूचना प्रोद्योगिकी का एक प्रमुख अनुप्रयोग नागरिकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए ई– बैंकिंग (E-Banking) है। ई–बैंकिंग से तात्पर्य है लाइन पर बैंकिंग कारोबार करना। दूसरे शब्दों में ई–बैंकिंग ऐसा बैंकिंग व्यवसाय है जो इलेक्ट्रॅानिक पद्धति से किया जाता है। ई–बैंकिंग के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था और नागरिको के बीच कम्पयूटर नेटवर्क के जरिए सुरक्षित, विश्वसनीय और नियन्त्रित सम्पर्क कायम किया जा सकता है।

ई–बैंकिंग के बैंक अपने ग्राहकों को एक पिन (Personal Identification Number) देता है। इस पिन की सहायता से ग्राहक घर बैठे बैंक की वेबसाइट खोलकर अपने खाते एवं अन्य बैंकिंग गतिविधि पर नजर डाल सकता है। बैंकिंग सम्बन्धी कोई जानकारी ग्राहक अपने व्यक्तिगत कम्पयूटर से प्राप्त कर सकता है एवं उसका प्रिण्ट आउट भी निकाल सकता है। ग्राहक ई– बैंकिंग के द्वारा घर बैठे ओफिस में बैठे–बैठे ही बैंकिंग कार्य को अंजाम दे सकता है। ई–मेल के जरिये वह बैंक का कोई सूचना, सुझाव, शिकायत या आदेश भेज सकता है। सामान्यतया ई–बैंक की कार्यप्रणाली बैंक व्यवसाय को दो रुपों में बांट देती है–

1. बी – 2 –बी (Business to Business)
2. बी – 2 –सी (Business to Customer)

बी – 2 – बी (Business to Business) : बी–2–बी का आशय बैंक का बैंक से व्यवहार होता है। बी–2–बी बैंकिंग करोबार की विभिन्न गतिविधियों को सुचारु रुप से तीव्र गति से निस्पदित करने हेतु उचित वातावरण तैयार करने में मदद करने के साथ–साथ खर्चों में कटौती हेतु काफी कारदार है।

बी –2–सी (Business to Customer) : बी–2–सी का आशय बैंक का कस्टमर अर्थात ग्राहक के साथ व्यवहार होता है। सामान्यतः इस प्रकार की ई–बैंकिंग में बैंकिंग गतिविधियाँ बैंक तथा ग्राहक के बीच सीधे इन्टरनेट के माध्यम से चलती है। बैंक 'इन्टरनेट' पर अपनी उपस्थिति ई–बैकिंग वेबसाइटों के माध्यम से दर्ज कराती है। ग्राहक इन वेबसाइटों पर जाकर बैंकिंग कार्य को अंजाम देता है।

Scanned by TapScanner

ई–बैंकिंग के अन्तर्गत सेवाएं

1. स्वचालित टेलर मशीन (ATM)
2. टेली बैंकिंग
3. इन्टरनेट बैंकिंग
4. इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण
5. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं स्मार्ट कार्ड का प्रयोग
6. बिक्री स्थान बिन्दु

ई – बैंकिंग से लाभ : ई–बैंकिंग से ग्राहक तथा बैंक दोनों को समान रुप से लाभ होता है। ग्राहकों को मिलने वाले लाभ में घर या ऑफिस बैठे बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलता है। ग्राहक घर से ही किसी भी बैंकिंग कार्य को सम्पन्न कर सकता है। समय की बचत होती है। ग्राहक को ई–बैंकिंग से मिलने वाले लाभ में समय की बचत होना महत्वपूर्ण है। वह बिना अतिरिक्त समय दिए, ऑफिस से बगैर छुट्टी लिए तथा बिना पंक्ति में खड़े अपनी बारी का इन्तजार किए बैंकिंग कार्य करता है। ई–बैंकिंग से ग्राहक को चौबीस घण्टे तथा सभी दिन बैंकिंग सेवा उपलब्ध रहती है। ई–बैंकिंग एक मितव्ययी प्रणाली है। ई–बैंकिंग से एक लाभ यह भी होता है कि ग्राहक को अपने शाखा में ही जाने की बाध्यता नहीं होती है। वह किसी भी शाखा से बैंक में जमा राशि का आहरण कर सकता है। ई–बैंकिंग में ऑन–लाइन क्रय एवं भुगतान की सुविधा रहती है। इस प्रकार ई–बैंकिंग से ग्राहको को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है।

ई–बैंकिंग से बैंक को भी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। सर्वप्रथम बैंक अपेक्षाकृत कम कर्मचारी के सहयोग से बैंकिंग कार्य कर सकता है। बैंक को मानवीय व्यवधान से मुक्ति मिल जाती है। बैंक पर कार्य का बोझ कम हो जाता है। ई–बैंकिंग द्वारा बैंक अपनी विभिन्न योजनाओं का शीघ्रता से कार्यान्वयन कर सकता है। ई–बैंकिंग द्वारा बैंकों का दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों तक सहजता से पहुँच सम्भव हो जाती है।

ई – बैंकिंग के विकास मे चुनौतियाँ – देश में ई–बैंकिंग के समग्र विकास में कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर विजय पाकर ही इस देश के आम नागरिकों तक पहुँचाया जा सकता है। ये चुनौतियां निम्नलिखित हैं –

1. देश में इन्टरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव

2. देश में टेलिफोन सेवा का विस्तार न होना।

3. सम्पूर्ण देश को ऑप्टीकल फाइबर से जोड़ना।

4. भुगतान की समस्या।
   देश में प्लास्टिक कार्ड (क्रेडिट कार्ड) का बहुत कम (मात्र 2%) प्रयोग होना।

5. नेट के माध्यम से कारोबार को नियमित करने के लिए साइबर कानून का न होना।

6. देश में व्याप्त निरक्षरता।

Scanned by TapScanner

सरकार द्वारा नई बैंकिंग योजनाएं

भारत सरकार द्वारा गत वर्षों में भारतीय बैंकिंग का विकास करने हेतु कुछ नए बैंक व नई योजनाएं चलाई है, जिनमे भारतीय महिला बैंक, मुद्रा बैंक व जन–धन योजना की शुरुआत की है।

1. **भारतीय महिला बैंक –** भारतीय महिला बैंक भारत का पहला महिला बैंक है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का भी ऐसा पहला बैंक है जिसकी निदेशक मण्डल की सभी सदस्य महिलाएं है।

   पृष्ठभूमि – 2013 की बजट में वित्त मंत्री ने महिला बैंक का प्रस्ताव रखा था और उसके लिए 1000 करोड़ रुपये की पूँजी आंवटित की थी।

   आरम्भ – 19 नवम्बर 2013 को मुंबई में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए चैयरपर्सन सोनिया गांधी ने वित्त मंत्री पी चिदंबरम की उपस्थिति में इस बैंक का उदघाटन किया। शुरुआत मे इसकी 7 शाखाएं जो कि मुबंई, बैगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद,लखनऊ तथा गोवाहाटी में खोली गई।

2. **प्रधानमंत्री जन – धन योजना** (संक्षेप में – पीएमजेडीवाई)

   भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर मे सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंम्भ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया। इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंको को ई–मेल भेजा जिसमे उन्होने 'हर परिवार के लिए बैंक खाता' को एक 'राष्ट्रीय प्राथमिकता' घोषित किया और सात करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंको को कमर कसने को कहा। योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। इस योजना के अन्तर्गत छः स्तंभो के अन्तर्गत व्यापक वित्तीय समावेशन का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 17 करोड़ 29 लाख से भी ज्यादा जन–धन बैंक खाते खुल चुके है, जिसमे जीरो बैलेन्स बैंक खाते 46.91 प्रतिशत यानि 8 करोड़ 11 लाख है तथा खातो में कुल बैलेन्स 20,769.33 करोड़ रुपये है तथा हर खाते मे औसत बैलेन्स 1201 रु है। अब तक 15 करोड़ 26 लाख डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

3. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना/मुद्रा बैंक –** मुद्रा बैंक के तहत एक भारतीय योजना है जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 8 अप्रेल 2015 को नई दिल्ली भारत में की गई थी। मुद्रा बैंक के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हस्तक्षेप के तहत इसमें तीन श्रेणीयां है – शिशु, किशोर और तरुण, ये तीनो श्रेणियां लाभार्थियो को विकास एवं वृद्धि में मदद करेगी। इस योजना के तहत 1,65,000 लोग को इसका लाभ मिला है और वर्ष 2016 तक इस योजना के लिए 157,400,000 अमेरीकी डालर जुटाए गए है। वित्तिय वर्ष 2015–16 के लिए 34880924 ऋणों को स्वीकृत किया गया है। जिनकी कुल स्वीकृत राशि रु.137449.27 करोड़ है तथा वास्तविक वितरित राशि रु.132954.73 करोड़ रुपये है।

   वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए योजना के तहत 5419396 ऋणो को स्वीकृत किया गया है। जिनकी स्वीकृत राशि रु. 20709.68 करोड़ व वास्तविक वितरित राशि रु.19520.85 करोड़ रुपये है।

Scanned by TapScanner

1. शोधकार्य की आवश्यकता

बैंकिंग क्षेत्र के सन्दर्भ में लोगों के पास जागरुकता का आभाव है।

बैंकिंग क्षेत्र से जन–जन को जोड़ने के लिए नए उपायो जो कि एक सेतु की तरह कार्य कर सके उनकी आवश्यकता है।

आर्थिक सम्पन्नता से सामाजिक सम्पन्नता के सन्देश को सही प्रकार से प्रसारित करने की आवश्यकता है।

बैंकिंग क्षेत्र की सुविधाओं की जानकारी एवं उपयोगिता जन–जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है।

समस्या एवं समाधान की विस्तृत विवेचना की आवश्यकता है।

2. शोधकथन / समस्या कथन

बैंकिंग क्षेत्र का विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव (विशेष सन्दर्भ राजस्थान की अर्थव्यवस्था एवं उसका विकास) एक अध्ययन

3. शोध के उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर किया जा रहा है –

1. बैंकिंग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन
2. बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का अध्ययन
3. राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विकास में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका का अध्ययन
4. आधुनिक तकनीक एवं सूचना प्रोद्योगिकीं का बैंकिंग क्षेत्र के विकास में अध्ययन
5. जन सामान्य की बैंकिंग सम्बन्धी समस्या एवं समाधानो का विवेचनात्मक अध्ययन

4. परिकल्पनाएं

1. बैंकिंग योजनाओ से आर्थिक विकास को एक नई दिशा मिली है।
2. बैंकिंग योजनाओ के द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो मे औद्योगिक, कृषि व अन्य क्षेत्रो मे विभिन्न प्रकार के सकारात्मक कार्य हुए है।
3. बैंकिंग के विकास से सरकारी योजनाओ का सीधा लाभ जन–जन को मिलने लगा है।
4. स्वरोजगार के कई अवसर विकसित होने लगे है जिसकी वजह से बेरोजगार युवको, महिलाओ व अन्य सभी को लाभ पहुंचने लगा है।
5. बैंकों में पैसा जमा कराना व निकालना व सम्बन्धित राशि की जानकारी बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

Scanned by TapScanner

5. शोध पद्धति –

- **परिचय** – अनुसंधान के अन्तर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक दोनो प्रकार की शोध विधियों का प्रयोग करेगें। प्रस्तुत शोध अध्ययन में मात्रात्मक अध्ययन के लिए सर्वेक्षण तथा गुणात्मक अध्ययन के लिए केस अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाएगा। शोध कार्य के लिए द्वितिय आंकड़ो का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाएगा तथा प्राथमिक आंकड़ो के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया जायेगा।
- **आवश्यकता** – भारतीय बैंकिंग और अर्थव्यवस्था के विकास को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़ो का संकलन कर व ग्राहकों व बैंक क्रमियों से साक्षात्कार करना व राजस्थान के सन्दर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विकास की आधुनिक तकनीकों के सभी पहलुओं को जांचना।
- **आंकड़ो का संकलन** – किसी भी शोध में शोधकर्ता द्वारा आंकड़ो का संकलन एक अहम भूमिका निभाता है। यह शोध कार्य प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ो पर आधारित रहेगा जिसमे सभी आंकड़े व सम्बन्धित विषय सामग्री बैंकों से वित्तिय संस्थाओं से और वेबसाइट आदि से इकट्ठी की जाएगी। शोधकार्य विशेषतः पांच राष्ट्रीयकृत बैंको और पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर आधारित रहेगा।
- **अध्ययन का क्षेत्र** – ग्राहक और बैंक के मध्य किस प्रकार से आधुनिक तकनीक को काम में लेते हुए अधिक से अधिक जनसामान्य तक सभी योजनाओ का लाभ सुचारु रुप से मिल सके।

5.1 न्यादर्श एवं न्यादर्श चयन

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श चयन के लिए अध्ययन क्षेत्र मे राजस्थान के बैंकों के आंकड़ो का चयन न्यादर्श विधि द्वारा किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र से आंकड़ो का चयन यादृच्छिक विधि से किया जाएगा तथा गुणात्मक अध्ययन के लिए केस अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाएगा।

5.2 शोध उपकरण

- प्रस्तुत शोध मे अध्ययन क्षेत्र से एक प्रश्नावली को भरवाकर राजस्थान मे बैंकिंग क्षेत्र के विकास से संबधित प्राथमिक आंकड़ो को एकत्रित किया जाएगा जिसके द्वारा बैक के प्रति लोगो की वास्तविक भावना तथा विकास की वास्तविक गति का अध्ययन किया जाएगा।
- अध्ययन क्षेत्र की विभिन्न बैंकों के विकास का स्तर ज्ञात करने के लिए सांख्यिकी सूचकांक विधि का प्रयोग किया जाएगा।

5.3 प्रदत्त विशलेषण में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ

प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों का संकलन कर उसके विश्लेषण के लिये आवश्यक सांख्यिकी तकनीकों औसत या माध्य, प्रतिशत, मानक विचलन, टी स्कोर एवं सहसम्बन्ध का उपयोग किया जायेगा। तथा आंकड़ो का प्रदर्शन मानचित्र, ग्राफ, वृत आरेख आदि के द्वारा जाएगा।

Scanned by TapScanner

5.4 शोध की परिसीमाएं

प्रत्येक शोध की सीमाएँ होती है अतः प्रस्तुत शोध की भी कुछ सीमाएँ है। जो कि निम्न प्रकार हैं–

- प्रस्तुत शोध अध्ययन राजस्थान तक ही सीमित रखा जाएगा जिसमे ग्रामीण क्षेत्रो मे बैंकिंग व अर्थव्यवस्था के अर्न्तसम्बन्ध के पहलुओ को जांचा जाएगा।

- प्रस्तुत शोध अध्ययन राजस्थान के सभी बैंकों यथा ग्रामीण व शहरी बैंकिंग तक सीमित रखा जाएगा।

- प्रस्तुत अध्ययन विभिन्न बैंकिंग योजनाओ के राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर प्रभावो को जानने तक ही सीमित रखा जाएगा।

6. संबधित साहित्य का पुनरावलोकन

एस.जी. शाह (1979) ने अपने शोध पत्र में बैंक की कमजोरियों का विश्लेषण करते हुए उन विशेष क्षेत्रों को दर्शाया है जिनके सुधार से लाभ को बढ़ाया जा सकता है। उनका मानना था कि खर्चों को बढ़ाकर और उन्हे व्यर्थ के कामो मे खर्च करना और उत्पादकता में कमी मुख्य कमजोरियां है। उनके सुझाव निम्न है :–

1. उन खर्चों का मूल्यांकन करना जिसमे लागत सेवा व प्रबन्धन व उससे आने वाले प्रतिफल का सही मूल्यांकन हों।

2. आमदनी बढ़ाने के वैकल्पिक साधनो का विकास करना।

3. लाभ व लागत के केन्द्र का पता लगाना।

एम. आर. व्यास (1991) ने राजस्थान के ग्रामीण विकास बैंकों के वित्तिय प्रदर्शन को अपने शोध में दर्शाया। जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के वित्तिय प्रदर्शन विभिन्न अनुपातों के अनुसार विश्लेषित किये और उन्होंने इन बैंकों के अच्छे भविष्य की तुलना आर्थिक विकास के साथ की और भारतीय ग्रामीण क्षेत्रो मे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए इन बैंको के विकास पर जोर दिया।

सुब्रमण्यम और स्वामी (1994) ने अपने शोध पत्र मे भारत मे सरकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन किया जिसमे उन्होने बैंक के कर्मचारियो के वेतन व अन्य खर्चों की समीक्षा की और उनको मिलने वाले वेतन व उनकी कार्यक्षमता के अर्न्तसम्बन्धो की जांच की और पाया कि निजी बैंकों मे सरकारी बैंकों की तुलना मे यह लाभ का सम्बन्ध अधिक पाया गया। बैंक कर्मचारियों का वेतन व उनके कार्यों से होने वाली अर्जित आय सरकारी बैंकों मे कुछ कम पाई गयी।

बेरी विल्सन (1997) बैंकों की पूंजी व बैंकों के ढांचे का तुलनात्मक अध्ययन किया जिसमे उन्होने अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा के बैंकों का अध्ययन किया।

एस.बी.आई शोध विभाग (2000) ने 27 सरकारी बैंकों का मूल्यांकन आर्थिक शोध विभाग एस.बी. आई द्वारा किया गया। जिसमे व्यावसायिक प्रदर्शन, मूल्यांकन श्रम उत्पादकता सूचकांक आदि के बारे में चर्चा की। ब्याज से होने वाली आय की भी समीक्षा की गई और एन.पी.ए के सम्बन्ध मे मौजूदा कानून व्यवस्था व नियमो के कारण ऋणों की वसूली में बैंकों की भूमिका की चर्चा की गई।

Scanned by TapScanner

राधा टी (2002) में अपने शोध पत्र मे बैंकिंग क्षेत्र पर वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका की चर्चा की इस शोध मे उन्होने बैंकों मे होने वाले जमा व ऋण आदि के बारे मे चर्चा की। इसमे उन्होने विकास की दर को मापने के लिए सांख्यिकी तकनीको का सहारा लिया और विभिन्न प्रकार के अनुपातो की मदद से बैंकों मे सुधार की चर्चा की।

आई.सी.आर.ए. (2003) के शोध पत्र भारतीय बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है जिसमें तेजी से बदलते हुए वातावरण मे बैंकों की भूमिका व उनकी कमजोरियो की चर्चा की गई जिसमें कुछ कार्य के पैमाने तय करने जैसे कि प्रति बैंक कर्मचारी के द्वारा किए गए व्यवसाय, प्रति बैंक द्वारा किया गया व्यवसाय आदि के बारे मे विस्तृत चर्चा की गई और बैंकिंग तकनीक के विकास और आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया और खर्चो के कम करने के प्रस्ताव रखे गये।

चन्द्रशेखर मिश्रा (2011) ने सरकारी बैंकों की पूंजी संरचना की पहचान के बारे मे बताया जिसमे उन्होने धन जुटाने हेतु कई उपाय बताए और इसमे उन्होन 48 लाभ कमाने वाले बैंकों के बारे मे भी चर्चा की और विभिन्न प्रकार के कर निर्धारणो का अर्न्तसम्बन्ध निकाला।

7. शोध न्यूनता

शोध पत्रों की एक लम्बी श्रृंखला है, जो बैंकिंग क्षेत्र के विकास एवं उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर हुए प्रभाव को एक समृद्ध शाखा के रुप मे प्रतिस्थापित करती है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर बैंकिंग क्षेत्र के विकास का लाभ वास्तव मे किस मात्रा मे हो रहा है। विशेषकर राजस्थान मे अभी भी बैंकिंग क्षेत्र के विकास से भारत व राजस्थान की अर्थव्यवस्था एवं विकास सम्बन्धित समस्याओं संबधी अध्ययनों का नितांत अभाव है। अतः इस अभाव के निवारण एवं अध्ययन को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से शोधार्थी ने 'भारत मे बैंकिंग क्षेत्र का विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव (विशेष सन्दर्भ राजस्थान की अर्थव्यवस्था एवं उसका विकास) एक अध्ययन'' नामक शीर्षक पर शोध प्रबन्ध करने का विचार किया।

8. अध्ययन का महत्व

अध्ययन का महत्व निम्न है –

8.1 ज्ञान का योगदान

- इस शोध अध्ययन में शोधकर्ता अपने ज्ञान को सांख्यिकीय मापन, तकनीक और सांख्यिकी जांचो द्वारा योगदान देगा।
- इस शोध अध्ययन के द्वारा शोधकर्ता का भारतीय बैंकिंग विकास व राजस्थान के बैंकिंग विकास के प्रति ज्ञान का विकास होगा।

Scanned by TapScanner

8.2 समाज के लिए योगदान

- इस शोध अध्ययन के द्वारा समाज को भारतीय बैंकिंग के विकास व भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा।
- इस अध्ययन के द्वारा बैंकों के ग्राहकों को निवेश व अन्य निर्णयो हेतु यह शोध पत्र मदद करेगा।
- कर्मचारियों को उनकी नौकरी सम्बन्धी निर्णयों को लेना आसान होगा।

8.3 बैंकिंग क्षेत्र के लिए योगदान

- बैंकिंग क्षेत्र अपने वित्तिय क्षमता को और अपने पूँजीगत ढांचे के बारे मे जानने के लिए योग्य होगा।
- बैंकिंग क्षेत्र अपने वित्तिय प्रदर्शन को और ज्यादा सुधार पायेगा।
- बैंकिंग क्षेत्र अपने पूंजीगत ढांचे मे उपयुक्त परिवर्तन कर पाएगा।

9. अध्याय विभाजन :

प्रस्तुत शोध में अध्यायों का विभाजन निम्न प्रकार किया जायेगा।

अध्याय – 1

शोध पद्धति (Reasearch Methodology),

1.1 प्रस्तावना, शोध की आवश्यकता, समस्या कथन, उद्देश्य, परिकल्पना, शोध सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन।

1.2 शोध विधि

1.3 आकडों का संकलन

1.4 बैंकिंग क्षेत्र की प्रष्ठभूमि वाणिज्यिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका, अर्थव्यवस्था से अर्न्तसम्बन्ध आंकड़ो का संकलन, व्यक्तिगत साक्षात्कार ।

1.5 बैंकिंग क्षेत्र के विकास व अर्थव्यवस्था के अर्न्तसम्बन्ध और विभिन्न योजनाओ को अलग – अलग काल खण्डो मे उनका मूल्यांकन .

1950 से 1970

1970 से 1990

1990 से 2010

2010 से 2016 तक

Scanned by TapScanner

अध्याय – 2 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र (Indian Banking Sector)
अध्याय – 3 आर्थिक विकास एवं बैंकिंग क्षेत्र (Economic Development and Banking Sector)
अध्याय – 4 बैंकिंग विकास योजनाओं का अध्ययन –(Study of Banking Development Policies)

1. अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में
2. ऋण व विभिन्न योजनाओ के सन्दर्भ में
3. योजनाओ का प्रभाव
4. मूल्यांकन

अध्याय – 5

आंकड़ों का संकलन, मूल्यांकन, सारणियो का निर्माण, सांख्यिकीय गणनाएं, ग्राफ व चार्ट आदि का निर्माण, विश्लेषण।

अध्याय – 6

विशेष सन्दर्भ राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों मे बैंकिंग के विकास और अर्थव्यवस्था के अन्तर्सम्बन्ध की विवेचना एवं तुलनात्मक अध्ययन।

अध्याय – 7

निष्कर्ष, भावी शोध हेतु सुझाव एवं शोध का महत्त्व।

Scanned by TapScanner

REFERENCES

1. S.G. Shah "Bank Profitability: The Real Issue", The Journal of The Indian Institute of Banker's, Vol. 1 No. 50, Sep. 1979.

2. M.R. Vyas "Fianacial Performance of Regional Rural Banks in Rajasthan", Arihant Publisher, 1991.

3. Subramanian and Swami "Comparative Performance of Public Sector Banks in India" Prjanan, Vol. XXII

4. Berry Wilson "Bank Capital and Bank Structure : A Comparative Analysis of the US, UK and Canada", CDC Asset Management, America, 1997.

5. SBI Reasearch Department "Performance Analysis of 27 Public Sector Banks", SBI Monthly Review Performance, Vol. xxxix 2000.

6. Radha T. Ph D Thesis, titled, "Impact of banking sector reforems on the performance of commercial banks in India, in Andhra University, Visakhapattanam.

7. ICRA "Comparative Study on Indian Banking", tried to analyse the fast-changing environment, the Indian Bank's Association (IBA) 2003.

8. Chandra Sekhar Mishra "Capital Structure – A Study of Manufacturing Sector PSUs in India" International Conference on Financial Management and Economics IPEDE vol. 11 (2011) Singapore.

9. Pacific Business Review Interantional

10. ABD Economics Working Paper

11. Bhavani Prasad, G. and Veena. V.D. (2011) "NPAS in Indian Banking Sector trend's.

12. Financial Performance Analysis in Banking Sector

13. बैंकिंग विधि एवं व्यवहार (बी.एल.ओझा, मनोज कुमार ओझा)

14. बैंकिंग एवं वित्तिय प्रणाली (बी.एल.ओझा)

15. "देश का पहला भारतीय महिला बैंक खुला" नवभारत टाइम्स 19 नवम्बर 2013

16. अभिगमन तिथि 22 नवम्बर 2013

Scanned by TapScanner

17. नवभारत टाइम्स 15 नवम्बर 2013

18. "पहला भारतीय महिला बैंक" नवभारत टाइम्स 20 नवम्बर 2013

19. अभिगमन तिथि 22 नवम्बर 2013

20. "PM launches Pradhan Mantri MUDRA Yojana"

21. अभिगमन तिथि 4 सितम्बर 2015

22. द इकोनॉमिक्स टाईम्स. 28 अगस्त 2014.

23. "प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई)" पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, 2 अक्टूबर 2014

Scanned by TapScanner

वेबसाइट्स

- www.indianreserachjournals.com
- www.wikipedia.com
- www.abhinavjournal.com
- www.rbi.org.in
- www.indianbanks.com
- www.adb.org/economics ststab III @ yahoo.co.in
- www.Pwc.in
- http://hindi.economictimes.indiatimes.com/businessarticleshow/26046178.cms
- http://hindi.economictimes.indiatimes.com/India/national-India/ The country 39s-first-female-bank-will-start-from-November-19/articleshow/ 25780943. cms
- Gov.in.http://pmindia.gov.in/en/news update/pm-launches-pradhan-mantri-mudra-yojana/
- Equity Bulls. http: // www. equitybulls. com / admin / news2006 / news_det .asp?id=168113.
- http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?
- http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/pm-jan-dhan-yojana-launched-aims-to-open-1-5-crore-bank-accounts-on-first-day/articleshow/41093413.cms

Outline of the Synopsis Approved

08.07.2016

Signature of Supervisor with date

8/7/16

Signature of Candidate with date

Scanned by TapScanner

बैंकिंग का मूल्यांकन
(क्षेत्रवार अध्ययन)

प्रश्नावली (Questionnaire)

वर्ष 2016–17

बैंक ग्राहक

गैर बैंकिंग ग्राहक

परिवार का मुखिया.. उम्र................................ स्थिति..........................

क्षेत्र का नाम .... जिला ....

साक्षात्कार तिथि.. (dd/mm/yy)

बैंकिग सुविधा (बैंकिंग ग्राहक)

1. क्या आपको कोई बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है ?
   – हां – नही

2. बैंकिंग सुविधा किस प्रकार की है।

   अ सेविंग बैंक खाता — ब चालू खाता
   स उधार — द सावधि जमा
   य अन्य खाता

3. आप किस उद्देश्य की पूर्ती के लिए ऋण लेते हैं –

   – घर खर्च चलाने के लिए — – शिक्षा
   – चिकित्सा — – कृषि
   – पशुधन विकास — – अदायगी
   – रोजगार विकास — – अन्य

4. बैंक की सुविधा मिलने से पहले आप अपनी ऋण आवश्यकताएं कैसे पूरी करते थे?

   – जमीदार — – व्यवसाय/साहूकार/रिश्तेदार
   – अन्य — – आवश्यकता नही पड़ी

5. आप कितने समय से बैंकिंग सुविधा प्राप्त कर रहे हैं।

   – एक वर्ष से कम अवधि — – एक से तीन वर्ष की अवधि
   – तीन से पांच वर्ष की अवधि — – पांच वर्ष से अधिक

Scanned by TapScanner

6. क्या आप वर्तमान बैंकिंग सेवा से संतुष्ट है?
– हां – नहीं

7. क्या आप वर्तमान बैंकिंग ब्याज की दरों से संतुष्ट है?
– हां – नहीं

8. क्या आप बैंकिंग कर्मचारियों के व्यवहार से संतुष्ट हैं?
– हां – नहीं

9. क्या आपको बैंक की सभी सुविधाओ की जानकारी है?
– हां – नहीं

10. क्या आप अन्य बैंकों की सुविधाओ का तुलनात्मक मूल्यांकन करते हैं?
– हां – नहीं

11. ऋण अदायगी मे देरी की स्थिति मे बैंक द्वारा की गई कार्यावाही से क्या आप संतुष्ट है?
– हां – नहीं

12. आपके अनुसार कोई दो सुझाव जिससे बैंकिंग व्यवस्था मे सुधार लाया जा सकता है?

(1) ....

(2) ....

13 बैंकों के द्वारा मिलने वाली वित्तिय सहायता से आपके व्यवसाय का आर्थिक विकास किस प्रकार हो रहा है?

....

....

14 क्या बैंक आपके क्षेत्र मे सामाजिक सहभागिता मे सहयोग करता है?
– हां – नहीं

15 आधुनिकीकरण का लाभ आपको मिल पा रहा है?

– हां – नहीं

Scanned by TapScanner

गैर बैंकिंग ग्राहक

16. आप बैंकिंग सुविधा का उपयोग क्यो नहीं कर रहे हैं?

    (1) ....

    (2) ....

17. क्या आपको बैंकिंग सुविधाओं के बारे मे जानकारी है?
    – हां – नहीं

18. आपको वित्तिय सहायता कहां से प्राप्त होती है?

    – जमींदार – व्यवसाय/आयकर/साहूकार
    – संस्थागत स्त्रोत – अन्य (बैंक को छोड़कर)

19. क्या आप बैंककर्मियों के व्यवहार से असंतुष्ट हैं?

    – हां – नहीं

20. क्या आप बैंको व सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं में सहभागी बनने से बच रहे हैं?
    – हां – नहीं

Scanned by TapScanner